न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं0–1)/विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 अधिनियम, महोबा

पीठासीन अधिकारी– ध्रुव राय, (एच0 जे0 एस0)

UPMB010008902018

विशेष वाद संख्या 04/2018
कम्प्यूटर नं–11/2018
सी०एन०आर० नं०–UPMB010008902018
सरकार बनाम जगदीश आदि

उत्तर प्रदेश राज्य ------------अभियोजन पक्ष

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा, उ०प्र०।
2– मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुवाद निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा, उ०प्र०।
3– भूपेन्द्र प्रजापति पुत्र झुरियां प्रजापति निवासी ग्राम सिरसी कलां, थाना खन्ना, जिला महोबा, उ०प्र०। ---अभियुक्तगण।

अपराध संख्या–13/2018
धारा–394, 411, 120 बी भा0 दं0 सं0
थाना–खन्ना, जिला महोबा।
एवं

UPMB010018472018

विशेष वाद संख्या 51/2018

कम्प्यूटर नं०–46/2018

सी०एन०आर० नं०–UPMB010018472018

सरकार बनाम बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन आदि

उत्तर प्रदेश राज्य ------------अभियोजन पक्ष

बनाम

1– छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति पुत्र कालीचरन प्रजापति निवासी मुहल्ला खन्ती वार्ड नं०–10, लवकुशनगर छतरपुर, म०प्र०।

2– अरविन्द उर्फ अन्नू पुत्र लखनलाल प्रजापति निवासी कठी, वार्ड नं०–10, लवकुशनगर, छतरपुर, म०प्र०।
3– बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना, थाना खन्ना, जिला महोबा। ---------अभियुक्तगण।

अपराध संख्या–13/2018
धारा–395, 397, 412, 120 बी भा0 दं0 सं0
व धारा–10/12 डी०ए०ए० एक्ट
थाना–खन्ना, जिला महोबा।
एवं

UPMB010015562018

विशेष वाद संख्या 38/2018

सी०एन०आर० नं०–**UPMB010015562018**

सरकार बनाम बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज बाबा

उत्तर प्रदेश राज्य ------------अभियोजन पक्ष

बनाम

बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा सूरज शर्मा पुत्र मंगी प्रजापती निवासी ग्राम खन्ना, थाना खन्ना, जिला महोबा। ----------अभियुक्त।

अपराध संख्या–65/2018

धारा–3/25 आर्म्स अधिनियम

थाना–खन्ना, जिला महोबा

एवं

UPMB010007322018

विशेष वाद संख्या 23/2018
सी०एन०आर० नं०–**UPMB010007322018**
सरकार बनाम मुन्ना प्रजापति

उत्तर प्रदेश राज्य ------------अभियोजन पक्ष

बनाम

मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुवाद निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा, उ०प्र०। ----------अभियुक्त।

अपराध संख्या–19/2018
धारा–3/25 आर्म्स अधिनियम
थाना–खन्ना, जिला महोबा

एवं

UPMB010007332018

विशेष वाद संख्या–24/2018
सी०एन०आर० नं०–UPMB010007332018
सरकार बनाम भूपेन्द्र

उत्तर प्रदेश राज्य ------------अभियोजन पक्ष

बनाम

भूपेन्द्र पुत्र झुरियां प्रजापति निवासी ग्राम सिरसी कलां, थाना खन्ना, जिला महोबा, उ०प्र०।

----------अभियुक्त।

अपराध संख्या–20/2018
धारा–3/25 आर्म्स अधिनियम
थाना–खन्ना, जिला महोबा

एवं

UPMB010007312018

विशेष वाद संख्या–22/2018
सी०एन०आर० नं०–UPMB010007312018
सरकार बनाम जगदीश

उत्तर प्रदेश राज्य ------------अभियोजन पक्ष

बनाम

जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा, उ०प्र०। ----------अभियुक्त।

अपराध संख्या–18/2018
धारा–3/25 आर्म्स अधिनियम
थाना–खन्ना, जिला महोबा

राज्य की ओर से अधिवक्ताः- **श्री तेज प्रताप पचौरी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता।**

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ताः- **श्री मदन कुमार राजपूत, एडवोकेट, रमेशचन्द्र प्रजापति एडवोकेट, श्री रामऔतार यादव, एडवोकेट,**

श्री संदीप मिश्रा, एडवोकेट।

<u>प्रकरण से सम्बन्धित विवरण संक्षेप में</u>

घटना दिनांक	29/30.01.2018	समय	01:30 बजे रात्रि
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	30.01.2018	समय	12:30 PM
अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दिनांक	08.02.2018, 27.05.2018 व 08.06.2018	समय	10:30 बजे
प्रकरण संस्थापना दिनांक		01.05.2018	
न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक		01.05.2018	
न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने का दिनांक		01.05.2018	
आरोप विरचित होने का दिनांक		30.05.2018/09.02.2021, 03.07.2019	

<u>अभियोजन साक्षीगण का विवरण</u>

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य दिनांक	साक्षी का प्रकार चक्षुदर्शी/अनुश्रुत/ पीड़ित
पी०डब्लू०-1	कुलदीप मिश्रा	09.11.2022	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०-2	सौरभ मिश्रा	20.03.2023	साक्षी
पी०डब्लू०-3	श्रीमती विमला	30.05.2023	साक्षी
पी०डब्लू० 4	हे०कां० मोहम्मद एहेतशाम	31.05.2023	चिक एफ०आई०आर० व कायमी जी०डी० लेखक
पी०डब्लू०-5	सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक अब्दुल	13.07.2023	फर्द बरामदगी का साक्षी

	रज़ाक		
पी०डब्लू०-6	एस०आई० रमेश सिंह	31.07.2023	मु०अ०सं०-65/2018 का विवेचक साक्षी
पी०डब्लू०-7	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार	01.08.2023	मु०अ०सं०-13/2018 का विवेचक साक्षी
पी०डब्लू०-8	उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला	05.10.2023	मु०अ०सं०-13/2018 का विवेचक साक्षी
पी०डब्लू०-9	रिटायर्ड एस०सी०पी० रामबाबू	04.01.2023	मु०अ०सं०-18/2018 का विवेचक साक्षी
पी०डब्लू०-10	उपनिरीक्षक यशकरन सिंह	27.02.2024	मु०अ०सं० 18/2018 व 19/2018 का विवेचक साक्षी
पी०डब्लू०-11	डा० महेश सिंह	23.07.2024	चिकित्सक साक्षी

बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक	27.10.2025

<u>बचाव साक्षीगण का विवरण</u>

अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देना व्यक्त किया किया गया तथा मुन्ना की ओर से डी०डब्लू०-1 कुदउवा, जगदीश की ओर से डी०डब्लू०-2 बिहारीलाल व भूपेन्द्र की ओर से डी०डब्लू० 3 शारदा प्रसाद व डी०डब्लू०-4 शफीक खां की साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है।

बहस दिनांक	18.07.2026, 22.07.2026 व 27.07.2026
निर्णय दिनांक	29.07.2026
दण्डादेश दिनांक	31.07.2026
निस्तारण की समय अवधि	08 वर्ष 02 माह 30 दिन

<u>निर्णय</u>

1. अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना प्रजापति व भूपेन्द्र प्रजापति के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–13/2018 थाना खन्ना, जिला महोबा में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अन्तर्गत धारा–394, 411, 120बी भा0 दं0 सं0 आरोप पत्र प्रदर्श क–20, अभियुक्तगण छंग्गा उर्फ धनीराम प्रजापति, अरविन्द उर्फ अन्नू, बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा का विचारण विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 395, 397, 412, 120बी भा0 दं0 सं0 व

धारा 10/12 डी.ए. एक्ट आरोप पत्र प्रदर्श क–19, अभियुक्त बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा का विचारण विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–13, अभियुक्त मुन्ना प्रजापति का विचारण विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–28, अभियुक्त भूपेन्द्र प्रजापति का विचारण विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–30, अभियुक्त जगदीश का विचारण विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–26, के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। उपरोक्त सभी वाद समान साक्ष्य पर आधारित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से सभी वादों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. अभियोजन कथानक का संक्षेप सार इस प्रकार है कि फरियादी कुलदीप मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी ग्राम सिरसीकलां, थाना खन्ना, जिला महोबा द्वारा सम्बन्धित थाना–खन्ना, जिला महोबा पर लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत करते हुए दिनांक 30.01.2018 को समय 12.10 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक–29/30.01.2018 की रात्रि में **फरियादी व फरियादी के परिवार के लोग फरियादी का भाई सौरभ मिश्रा व फरियादी की मां श्रीमती विमला मिश्रा व फरियादी की बुआ संता घर में सोए थे। तीन चार बदमाश फरियादी के मकान की दीवार से चढ़कर जीने के रास्ते घर के अन्दर आ गए और फरियादी की मां से मारपीट करने लगे और जेवर रूपया पूछने लगे। अपनी मां की रोने की आवाज सुनकर फरियादी भी मां के कमरे में आ गया और फरियादी को भी एक बदमाश ने कट्टे के बट से मारा। बदमाश फरियादी के घर से जेवर, झुमकी सोने की एक तोला की, जंजीर एक तोला की और एक अंगूठी 4 ग्राम की, चांदी की पायल 150 ग्राम अलमारी से नगद 25000/–रूपये, एक मोबाईल 7052655385 व 9711561417, ये घटना रात्रि 12.30 बजे 1.30 बजे के बीच की है।**

3. फरियादी कुलदीप मिश्रा द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना खन्ना, जिला महोबा पर मु०अ०सं० 13/2018 अन्तर्गत 394 भा०दं०सं० विरुद्ध अज्ञात अभियुक्तगण दर्ज किया गया जिससे सम्बन्धित चिंक एफ०आई०आर० प्रदश क–2 है तथा मुकदमें का खुलासा उसी दिनांक–30.01.2018 को नकल रपट संख्या 18 समय 12:10 पर किया गया जिससे सम्बन्धित कायमी जी०डी० प्रदर्श क–3 है।

4. प्रकरण में विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। अभियोजन साक्षियों के बयान अंकित किये गये। **दिनांक–08.02.2018 को एस०एच०ओ०** अब्दुल रज़ाक, मय हमराही एस०आई० रमाकान्त शुक्ला, कां० संजीवनलाल, कां० गजेन्द्र पाल मय जीप सरकारी UP95G 0088 मय कां० चालक संतोष कुमार के थाने से वहवाले रपट नं०–4 समय 3.39 बजे देखभाल क्षेत्र रोकथाम अपराध व

तलाश वांछित अज्ञात बदमाश संबन्धित मुकदमा अपराध संख्या–13/2018 धारा–394 भा०दं०सं० में रवाना होकर क्षेत्र में ग्राम तिंदूही में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि तीन व्यक्तियों जो बदमाश किस्म के मालूम होते हैं, अवैध असलहा के साथ तिंदूही खिरूही मार्ग पर स्थित पुलिया नाला पर देखे गये हैं, जो लूट करने की फिराक में हैं। मुखबिर खास ने यह भी बताया कि इन बदमाशों का हाथ सिरसीकलां गांव की लूट की घटना में हो सकता है तथा ये कोई और घटना कर सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके एस०एच०ओ० मय हमराहियान के ग्राम तिंदूही से मुखबिर लेकर गवाहान फराहम करने का प्रयास करते हुए खिरूही विछुया नाला से लगभग 500 मीटर पहले जीप खड़ी करके चालक को छोड़कर मय मुखबिर व पुलिस बल पैदल छिपते–छिपाते हिकमत अमली से विछैया नाला के रपटा पुलिया के नजदीक पहुंचे तो तीन व्यक्ति नाला रपटा पर खड़े दिखाई दिये। मुखबिर उसकी ओर इशारा करके बापस चला गया। एस०एच०ओ० मय हमराहियान के रपटा के जैसे ही नजदीक पहुँचे तो पुलिस वालों को वर्दी में अपनी ओर आता देखकर तीनों व्यक्ति खिरूही की तरफ भागे कि एक बारगी दविश देकर घेरकर दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर विछैया नाला रपटा से लगभग 150 कदम खिरूही जाने वाले मार्ग पर बाजप्ता समय 10.30 बजे दिन में पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम **जगदीश पुत्र श्यामलाल** निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा उम्र करीब 38 वर्ष बताया। जामातलाशी से इसके लोवर के बायीं **फैंट से एक अदद तमंचा 315 बोर** जिसकी नाल की लम्बाई आठ अंगुल लोहे की, वाडी लोहे की, लम्बाई 7 अंगुल, बट 4 अंगुल लोहा, जिसके दोनों तरफ लकड़ी जैसी चाप लगी हैं। बायीं तरफ स्प्रिंगदार खटका लगा है, खोलने–बन्द करने के लिए ट्रैगर–हैमर लगा है। नाल को खोलकर देखा गया तो एक अदद कारतूस 315 बोर जिसकी पैंदी पर के०एफ० 8 एमएम अंकित है, कारतूस जिन्दा है, शर्ट की बायीं जेब से एक अदद मोबाईल MAFE वारंग सफेद, नीली धारी बरामद हुआ। मोबाईल खोलकर देखा गया तो आई०एम०ई०आई० नं०–911578958046284 व आई०एम०ई०आई० नं०–91157848046292 है। सिम–1 में एयरटेल की सिम नं०–XXXXXXX जिस पर मोबाईल नं०–7991747141 अंकित है। मोबाईल चालू दशा में है व पहने हुए लोवर की दाईं जेब से एक अदद पायल चांदी की 750 ग्राम व नगद रूपये 600/– जिसमें 50 के 2 व 10 के 50 नोट हैं, अर्थात एक पायल चांदी लोवर की जैब से बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम **मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुवाद** निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर बांदा उम्र 40 वर्ष बताया जिसकी जामातलाशी ली गयी तो इसकी पैन्ट के दायीं फैंट से एक अदद तमंचा **315 बोर जिसकी नाल 9 अंगुल लोहे की,** वाडी 7 अंगुल लोहे की व बट 4 अंगुल दोनों तरफ लकड़ी चाप स्क्रू से कसी हुई, नीचे खोलने व बन्द करने का खटका लगा, ट्रैगर हैमर

लगा, चालू हालत में व नाल खोलकर देखा गया तो एक कारतूस 315 बोर का नाल में फंसा हुआ, जिसमें के०एफ० 8 एमएम लिखा है, बरामद हुआ व सामने की जेब **से 700 रूपये जिसमें 4 नोट 50 के व 50 नोट 10 के व एक पायल चांदी की बजन लगभग 75 ग्राम बरामद हुआ** व तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम भूपेन्द्र पुत्र झुरिया प्रजापति निवासी सिरसीकलां थाना खन्ना महोबा उम्र करीब 26 वर्ष बताया। जामा तलाशी में इसकी पैन्ट की बायीं फैंट से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल की लम्बाई करीब 8 अंगुल लोहे की, वाडी लोहे की 7 अंगुल व बट 4 अंगुल दोनों तरफ लकड़ी की चांपे लगी हैं, खोलने तथा बंद करने के लिए लोहे का खटका लगा, ट्रैगर हैमर लगा है, नाल को खोलकर देखा गया तो एक अदद कारतूस 315 बोर नाल में फंसा है। कारतूस की पैंदी पर के०एफ० 8 एमएम० लिखा है, कारतूस जिन्दा है तथा शर्ट की दायीं जेब से एक अदद **सोने की अंगूठी बजन लगभग 4 ग्राम बरामदी हुई, तथा जीन्स पेन्ट की दायीं जेब से 500 रूपये की एक नोट बरामद हुई।** पकड़े गये तीनों बदमाशों से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक–29/30.01.2018 की रात्रि में ग्राम सिरसीकलां में वीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू के घर में लूटपाट की थी जिसमें जेवर व नगद रूपया मिला था। **इस घटना में लूटपाट के लिये जगदीश, मुन्ना प्रजापति व विन्दोला उर्फ विन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना महोबा व विन्दोला के साथ छंगा नाम का एक व्यक्ति और था, जिसका पता विन्दादीन भी जानता है। हम लोग सभी कट्टा लिये थे**। उनके घर वालों से मारपीट भी किये थे। **हमें यह भी मालूम था कि इनके घर में गढ़ा हुआ धन मिला है, जिसकी मुखबिरी भूपेन्द्र ने की थी। इसी ने ही लूटपाट की योजना बनाकर हम लोगों को सिरसीकलां गांव लाया था।** हम लोग दो मोटरसाईकिलों से सिरसीकलां गांव पांच लोग आये थे। तलाब के पास मोटरसाईकिल खड़ी की थी। भूपेन्द्र के गांव का मामला था, इसलिए अन्दर नहीं गया। **भूपेन्द्र ने ही विन्दादीन से मिलकर लूटपाट की योजना बनाई थी। योजना ग्राम मवई बुजुर्ग मुन्ना के घर पर बनी थी। विन्दादीन व छंगा घटना के बाद हम लोगों से नहीं मिले।** घटना व लूटपाट में प्राप्त नगदी व जेवरात हम पांचों ने बांदा में जाकर बांट लिया था, उसके बाद बिन्दादीन व छंगा पता नहीं कहाँ चले गये। आज हम तीनों लूटपाट के इरादे से आये थे। हम लोगों के पास जो जेवर मोबाईल व नगदी बरामद हुआ है, वह सिरसीकलां की घटना की लूटपाट का है। हमारे पास से जो तमंचे बरामद हुए हैं, वही सिरसीकलां घटना के समय मिले थे। बरामद माल मु०अ०सं०–13/2018 धारा–394 भा०दं०सं० के माल मसरूका से मिलता जुलता है। **इसी दौरान वादी मुकदमा कुलदीप, पीड़ित चश्मदीद मौके पर आ गये हैं, जिन्होंने बरामद जेवर व मोबाईल को पहचाना व अपना होना बताया व जगदीश व मुन्ना प्रजापति को पहचान लिये हैं।** बरामद तमंचा कारतूस को अलग अलग कपड़े में सिलकर सर्वमोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद माल मसरूका को अलग–

अलग बण्डल में सर्व मोहर किया गया। नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद माल मसरूका व तमंचा आदि कब्जा पुलिस लिया गया तथा तीनों व्यक्तियों को हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द मौके पर लिखी जा रही है। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार किया जा रहा है। अभियुक्तगण को बताया गया कि उनका यह अपराध 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा–394, 411, 120बी भा०दं०सं० के अपराध के अन्तर्गत दण्डनीय है। कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी एवं बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्दोशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनों के दी जा रही है। फर्द एस०आई० रमाकान्त शुक्ल को बोल–बोल कर लिखवाया गया। फर्द पढ़कर सुनाकर हमराहियान एवं अभियुक्तगण के अलामात बनवाये जा रहे हैं। फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त भूपेन्द्र प्रजापति को दी जा रही है।

5. **दिनांक–26.05.2018** को ज्ञानेनद्र कुमार मय हमराही आरक्षी रामचन्द्र, आरक्षी अजय बहादुर मौर्या मय जीप सरकारी यू०पी० 95जी 0086 से चालक श्याम मिश्रा के थाना हाजा से रपट नं०–46 समय 23.30 बजे देखभाल क्षेत्र जुर्म जरायम शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित में रवाना होकर ग्राम कहरा होते हुए ग्राम सिरसीकलां में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त का **वांछित छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति** अपने अन्य साथी के साथ भगवान पुखरी के पास न्यूरिया जाने वाले मार्ग पर मोटरसाईकिल से मौजूद है और किसी संगीन वारदात को अंजाम देने आये हैं। एस०ओ० मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके ग्राम सिरसीकलां से मुखबिर को साथ लेकर ग्राम न्यूरिया की ओर चल दिये। जैसे ही भगवान पुखरी के सामने वाहन रूका तो पहले से मौजूद दोनों व्यक्ति पुलिस वालों को वर्दी में अपनी ओर आता देख न्यूरिया की ओर भागने लगे कि एक बारगी दविश देकर घेरकर भाग रहे दोनों व्यक्तियों को भगवान पुखरी के पास बने चबूतरे पीपल के पेड़ के पास वहद ग्राम सिरसीकलां में 5.45 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति पुत्र कालीचरन प्रजापति निवासी कन्ठी मुहल्ला वार्ड नं०–10 थाना लवकुशनगर, जिला छतरपुर म०प्र०, उम्र करीब 19 वर्ष बताया तथा जामातलाशी से दाहिने पेन्ट की जेब से रूपया 600/– बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम अरविन्द उर्फ अन्नू पुत्र लखनलाल प्रजापति निवासी कन्ठी मुहल्ला वार्ड नं०–10 थाना लवकुशनगर जिला छतरपुर म०प्र० उम्र करीब 24 वर्ष बताया तथा पहने हुए पेन्ट की बायीं जेब से रूपया 500/– नगद बरामद हुआ। **छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति पुत्र कालीचरन प्रजापति उपरोक्त मु०अ०सं०–13/2018 धारा–394, 411, 120बी भा०दं०सं० का वांछित एवं इनामिया अभियुक्त है तथा अरविन्द उर्फ अन्नू के कब्जे से एक अदद मोटरसाईकिल होण्डा सी०डी०**

110 बारंग काला, टंकी पर लाल व सफेद रंग के स्टीकर लगे हैं, मोटरसाईकिल का नम्बर देखा गया तो पीछे की नम्बर प्लेट पर एम०पी० 16 एम०एल० 5006 लिखा है। वांछित छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति किसी मोटरसाइकिल से अपने साथी अरविन्द उर्फ अन्नू के साथ को रात्रि में अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर लूटपाट की घटना किये थे। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से इस स्थान में खड़े रहना तथा पुलिस वालों को देखकर भागने का कारण पूछा तो वे सकपका गये। **छंगा ने बताया कि वह व अरविन्द** दिनांक–30.01.2018 को इसी मोटरसाईकिल से लवकुशनगर से आकर अन्य **साथी जगदीश, मुन्ना, भूपेन्द्र, विन्दोला उर्फ विन्दादीन उर्फ बाबा के साथ मिलकर सिरसीकलां में पण्डित के घर में घुसकर लूटपाट किये थे।** ह**म लोग कुल 6 की संख्या में थे। दूसरी मोटरसाईकिल उसके साथी बाबा उर्फ विन्दादीन की थी तथा उसका साथी अरविन्द सिरसीकलां तालाब के बगल में बने कमरे के पीछे दोनों मोटरसाईकिलों की रखवाली कर रहा था। विन्दोला, मुन्ना, जगदीश पण्डित के घर के अन्दर घुसकर लूटपाट किये तथा भूपेन्द्र जो सिरसीकलां का निवासी है, पण्डित के घर के बाहर खड़े होकर आने जाने लोगों पर नजर रख रहा था।** अब पकड़ ही लिया गया है तो सब बातें सच सच बता रहा है। लूटपाट करने के बाद पांचो मोटरसाईकिल रखे स्थान पर साथी अरविन्द उर्फ अन्नू के पास आये और सभी लोग कुछ ही दूर स्थित बबूल के पेड़ के पास गये लूट में प्राप्त माल और धन जेवरात विन्दोला अपने पास रखा था, उसी ने हम लोगों को हिस्सा दिया है। **हिस्से में मुझे 1600/–रूपया नगद तथा झुमकी सोने की एक अदद मिले थे। घटना करते समय वह चाकू लिये थे। शेष चार साथियों के पास तमंचा व कारतूस थे। घर के बाहर निकलने के बाद पकड़े जाने के भय से विन्दोला ने एक हवाई फायरिंग की थी तथा पण्डित के घर से एक पॉलीथीन में पास बुक, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि रखे थे, जिसको हम लोग मौके पर छानबीन नहीं कर सके थे। इसलिए बबूल के पास छानबीन किये तो उसमें कोई नगदी जेवरात नहीं था, जिसको पॉलीथीन में ही रखकर बबूल के सामने जमीन में खोदकर मैं और अरविन्द ने गाड़ दिया था। श्री**मान् जी कहें तो मैं बरामद करा सकता हूं। अरविन्द ने पूछने पर बताया कि मैं और छंगा साथ–साथ सिरसीकलां आये थे। साथी **भूपेन्द्र और विन्दोला** ने कहा था कि पण्डित के घर गड़ा धन है, इसलिए गड़े धन के चक्कर में आये थे। साथियों ने मुझे मोटरसाईकिल के पास खड़ा कर दिया था। श्रीमान् जी मैं और छंगा ने पास बुक, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, फोटोग्राफ्स को एक पॉलीथीन में रखकर बबूल के सामने खेत में गाड़ दिया था। श्रीमान् जी कहें तो दिखा सकता हूं। उक्त दोनों गलती की माफी मांगते हुए छोड़ देने की प्रार्थना करने लगे। **अरविन्द्र ने बताया कि मुझे विन्दोला ने 1000/–रूपये दिया था।** श्रीमान् जी हम दोनों जेल से छूटे साथी भूपेन्द्र प्रजापति का इंतजार कर रहे थे। अगर वो आ जाता तो किसी घटना को अंजाम देते। भूपेन्द्र ने ही पण्डित के घर लूटपाट की

योजना बनाई। योजना ग्राम मवई बुजुर्ग में मुन्ना के घर बनी थी। लूटपाट करते समय हम लोगों ने पण्डित के घर मारपीट भी की थी। पकड़े गये छंगा व अरविन्द की निशादेही पर बबूल के पेड़ के पास पहुँचे तो खेत की मिट्टी दब गयी है। इसलिए ग्राम सिरसीकलां से ट्रैक्टर मंगवाया गया। इस सूचना पर गांव के बृजलाल पुत्र दुर्गापाल, विजय पुत्र कोला, मोहन पुत्र गयादीन, वादी कुलदीप मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र मिश्रा, विमला मिश्रा पत्नी वीरेन्द्र मिश्रा, वीरेन्द्र मिश्रा पुत्र रामदास मिश्रा मौके पर आ गये। **अभियुक्त छंगा व अरविन्द की निशादेही व चिन्हित स्थानों की ट्रैक्टर से जुताई कराई गयी, तभी प्लास्टिक की सफेद रंग की पारदर्शी पन्नी, चैन लगी, जमीन से निकली। अभियुक्त छंगा व अरविन्द ने जोर से आवाज दी कि यह वही पन्नी है, जिसे मैं, दोनों दिनांक–30.01.2018 को जमीन में गाड़ दिया था।** पन्नी को कब्जा पुलिस लिया गया। पन्नी खोलकर देखा तो छः अदद बैंक पासबुक जिसमें 1– खाता संख्या–21463600618 इलाहाबाद बैंक कबरई, वीरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र रामदास मिश्रा लिखा है तथा उनकी फोटो चस्पा है। 2– खाता संख्या–11059360135 विमला मिश्रा पत्नी वीरेन्द्र मिश्रा अंकित है। फोटो चस्पा है। 3– खाता संख्या–35807541558 एस०बी०आई० श्रीमती विमला मिश्रा पत्नी वीरेन्द्र कुमार अंकित है तथा फोटो चस्पा है। 4– खाता संख्या–10670100012881 इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक श्रीमती विमला मिश्रा पत्नी वीरेन्द्र कुमार अंकित है तथा फोटो चस्पा है। 5– खाता संख्या–34303472741 संदीप कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार एस०बी०आई० कबरई व फोटो चस्पा है। 6– खाता संख्या–50335757796 इलाहाबाद बैंक व दो फोटो चस्पा हैं व आधार कार्ड तीन अदद 1–विमला मिश्रा, 2– कुलदीप मिश्रा, 3– रामदास व निर्वाचन कार्ड 1– वीरेन्द्र कुमार एल०जे०एच० 2397966, 2– नीलम मिश्रा पत्नी संदीप मिश्रा टी०जैड०आर० 5051032, 3– कुलदीप मिश्रा टी०जैड०आर० 4881488 व स्टेट बैंक डेबिट कार्ड 4592000006223628 व ग्रीन कार्ड नं०–0060060007510445 व पासपोर्ट साइज फोटो 12 अदद संदीप मिश्रा 03, कुलदीप 06, विमला 01, वीरेन्द्र मिश्रा 02 बरामद हुए। वादी पीड़ित चश्मदीद मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने बरामद पास बुक, ए०टी०एम० कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो को पहचाना तथा अपने–अपने परिवार का होना बताया। बरामद माल मुकदमा अपराध संख्या–13/2018 धारा–394, 411, 120 बी भा०दं०सं० से मिलता जुलता है। **अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति को वादी मुकदमा पीड़ित चश्मदीद ने पहचाना और बताया कि यह वही व्यक्ति है जो दिनांक–30.01.2018 को रात्रि 12.30 से 1.30 बजे तक मेरे घर के अन्दर घुसकर अन्य साथियों के साथ लूटपाट की थी तथा मारापीटा तथा चाकू गोंद दिया था।** मुकदमा उपरोक्त के तीन अभियुक्त पहले ही माल मसरूका तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर चालान कर दिये जा चुके हैं। एक अभियुक्त जिस पर पच्चीस हजार का इनाम घोषित है, वह फरार है। इस प्रकार इस

अभियोग में कुल अभियुक्तों की संख्या छः हो गयी है। बरामद मोटरसाईकिल का कागजात तलब किया गया तो वे दोनों दिखाने से कासिर रहे। वाहन के सम्बन्ध में 207 एम०वी० एक्ट की कार्यवाही अलग से की जा रही है। बरामद माल मसरूका व मोटरसाईकिल को कब्जा पुलिस लिया गया। बरामद माल मसरूका को उसी पॉलीथीन में रखकर एक सफेद कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्तगणों को उनका जुर्म धारा 395, 397, 412, 120 बी भा०दं०सं० तथा 10/12 डी०ए०ए० एक्ट का बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार किया जा रहा है। फर्द मौके पर लिखी जा रही है। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगणों के परिजनों को दी जा रही है। फर्द पढ़कर व सुनाकर हमराहियान एवं अभियुक्तगण के अलामात बनवाये जा रहे हैं। फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण की सहमति से छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति को दी गयी। दिनांक–08.06.2018 को अभियुक्त को बिन्दादीन उर्फ विन्दौला को गिरफ्तार कर उससे एक अदद तमंचा 315 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सिक्योरिटी गार्ड का आइडेन्टी कार्ड, मु०अ०सं०–13/2018 की लूट से सम्बन्धित एक सोने की चैन व 4200/–रूपये नगद, एक अदद मोटरसाईकिल की बरामदगी की गयी तथा बरामदगी से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श क–14 तैयार की गयी। अभियुक्तगण से बरामद अवैध असलहों के बाबत् जिला मजिस्ट्रेट महोबा से अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी तथा विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर **अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना प्रजापति व भूपेन्द्र प्रजापति के** विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–13/2018 थाना खन्ना, जिला महोबा में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अन्तर्गत धारा–394, 411, 120 बी भा0 दं0 सं0 आरोप पत्र प्रदर्श क–20, **अभियुक्तगण छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति, अरविन्द उर्फ अन्नू, बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 395, 397, 412, 120 बी भा0 दं0 सं0 व धारा 10/12 डी.ए. एक्ट प्रदर्श क–19, अभियुक्त बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क–13, अभियुक्त मुन्ना प्रजापति के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क–28, अभियुक्त भूपेन्द्र प्रजापति के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क–30, अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क–26 विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किये गये।

6. अभियुक्तगण के न्यायालय आहूत होने पर उन्हें धारा–207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करायी गयीं।

7. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण पर आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार पाते हुए दिनांक–30.05.2018 को अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना प्रजापति व भूपेन्द्र प्रजापति के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–394, 411, 120बी भा०दं०सं० व दिनांक–30.05.2018 को अभियुक्त जगदीश, भूपेन्द्र, मुन्ना प्रजापति के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम व दिनांक–03.07.2019 को अभियुक्तगण छंगा उर्फ धनीराम, अरविन्द उर्फ अन्नू व विन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–395, 397 सहपठित धारा–10/12 डी०ए०ए० एक्ट, 412, 120बी भा०दं०सं० तथा दिनांक–03.07.2019 को ही अभियुक्त विन्दोला उर्फ विन्दादीन उर्फ बाबा सूरज शर्मा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम व दिनांक–09.02.2021 को अभियुक्तगण भूपेन्द्र, मुन्ना व जगदीश के विरूद्ध संशोधित आरोप अन्तर्गत धारा–395, 397, 412, 120बी व धारा–10/12 डी०ए०एक्ट विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में साक्षी पी०डब्लू०–1 कुलदीप मिश्रा, पी०डब्लू०–2 सौरभ मिश्रा, पी०डब्लू०–3 श्रीमती विमला, पी०डब्लू०-4 हे०कां० मोहम्मद एहेतशाम, पी०डब्लू०-5 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक अब्दुल रज़ाक, पी०डब्लू०-6 एस०आई० रमेश सिंह, पी०डब्लू०-7 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, पी०डब्लू०-8 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला, पी०डब्लू०-9 रिटायर्ड एस०सी०पी० रामबाबू, पी०डब्लू०-10 उपनिरीक्षक यशकरन सिंह, पी०डब्लू०-11 डा० महेश सिंह साक्ष्य अंकित करायी गयी है। अन्य कोई साक्ष्य अंकित नहीं करायी गयी।

9. अभियोजन साक्षियों द्वारा जो दस्तावेज व वस्तु प्रदर्श साबित किये गये हैं, उसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र०सं०	दस्तावेज/वस्तु प्रदर्श	प्रदर्श	साक्षी का नाम
1	तहरीर	प्रदर्श क-1	पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा कुलदीप मिश्रा
2	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क-2	पी०डब्लू०–4 हे०कां० मो० ऐहतेशाम
3	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क-3	पी०डब्लू०–4 हे०कां० मो० ऐहतेशाम
4	विशेष वाद संख्या-22/2018 की चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क-4	पी०डब्लू०–4 हे०कां० मो० ऐहतेशाम
5	विशेष वाद संख्या-23/2018 की चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क-5	पी०डब्लू०–4 हे०कां० मो० ऐहतेशाम

6	विशेष वाद संख्या-24/2018 की चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क-6	पी०डब्लू०–4 हे०कां० मो० ऐहतेशाम
7	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क-7	पी०डब्लू०–4 हे०कां० मो० ऐहतेशाम
8	विशेष वाद संख्या-38/2018 की चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क-8	पी०डब्लू०–4 हे०कां० मो० ऐहतेशाम
9	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क-9	पी०डब्लू०–4 हे०कां० मो० ऐहतेशाम
10	विशेष वाद संख्या-22/2018 व विशेष वाद संख्या-04/2018 से सम्बन्धित फर्द बरामदगी	प्रदर्श क-10	पी०डब्लू०–5 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक अब्दुल रज्ज़ाक
11	नक्शा नजरी गिरफ्तारी स्थल अभियुक्त विन्दादीन	प्रदर्श क-11	पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक रमेश सिंह
12	अभियुक्त विन्दादीन से सम्बन्धित अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क-12	पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक रमेश सिंह
13	आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त विन्दादीन अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम	प्रदर्श क-13	पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक रमेश सिंह
14	फर्द बरामदगी अभियुक्त विन्दौला	प्रदर्श क-14	पी०डब्लू०–7 ज्ञानेन्द्र कुमार
15	फर्द बरामदगी अभियुक्त छंगा व अरविन्द	प्रदर्श क-15	पी०डब्लू०–7 ज्ञानेन्द्र कुमार
16	नक्शा नजरी अभियुक्त विन्दादीन	प्रदर्श क-16	पी०डब्लू०–7 ज्ञानेन्द्र कुमार
17	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क-17	पी०डब्लू०–7 ज्ञानेन्द्र कुमार

	अभियुक्तगण अरविन्द व छंगा		
18	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त विन्दौला	प्रदर्श क-18	पी०डब्लू०-7 ज्ञानेन्द्र कुमार
19	आरोप पत्र विशेष वाद संख्या-51/2018	प्रदर्श क-19	पी०डब्लू०-7 ज्ञानेन्द्र कुमार
20	आरोप पत्र विशेष वाद संख्या-04/2018	प्रदर्श क-20	पी०डब्लू०-8 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला
21	नक्शा नजरी घटना स्थल	प्रदर्श क-21	पी०डब्लू०-8 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला
22	नक्शा नजरी गिरफ्तारी अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, भूपेन्द्र	प्रदर्श क-22	पी०डब्लू०-8 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला
23	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व भूपेन्द्र	प्रदर्श क-23	पी०डब्लू०-8 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला
24	आरोप पत्र दिनांकित-27.05.2018	प्रदर्श क-24	पी०डब्लू०-8 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला
25	अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त जगदीश	प्रदर्श क-25	पी०डब्लू०-9 सेवानिवृत्त एच०सी०पी० रामबाबू
26	आरोप पत्र विशेष वाद संख्या-22/2018	प्रदर्श क-26	पी०डब्लू०-9 सेवानिवृत्त एच०सी०पी० रामबाबू
27	अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त मुन्ना	प्रदर्श क-27	पी०डब्लू०-9 सेवानिवृत्त एच०सी०पी० रामबाबू
28	आरोप पत्र विशेष वाद संख्या-23/2018	प्रदर्श क-28	पी०डब्लू०-9 सेवानिवृत्त एच०सी०पी० रामबाबू

29	अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त भूपेन्द्र	प्रदर्श क-29	पी०डब्लू०–9 सेवानिवृत्त एच०सी०पी० रामबाबू
30	आरोप पत्र विशेष वाद संख्या-24/2018	प्रदर्श क-30	पी०डब्लू०–9 सेवानिवृत्त एच०सी०पी० रामबाबू
31	नक्शा नजरी अभियुक्तगण जगदीश, भूपेन्द्र व मुन्ना से असलहों की बरामदगी का स्थल	प्रदर्श क-31, 32 व 33	पी०डब्लू०–10 उपनिरीक्षक यशकरन सिंह
32	चिकित्सीय आख्या वादी मुकदमा कुलदीप मिश्रा	प्रदर्श क-34	पी०डब्लू०–11 डॉ0 महेश सिंह
33	रेफरल स्लिप व चिकित्सीय आख्या विमला मिश्रा	प्रदर्श क-35 व 36	पी०डब्लू०–11 डॉ0 महेश सिंह
34	लूट से सम्बन्धित बरामद वस्तुएं	वस्तु प्रदर्श 1 लगायत 21	पी०डब्लू०–1 कुलदीप मिश्रा
35	अभियुक्त विन्दौला से बरामद वस्तुएँ असलहे व कारतूस	वस्तु प्रदर्श-22 लगायत 26	पी०डब्लू०–7 ज्ञानेन्द्र कुमार
36	अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व भूपेन्द्र से बरामद तमंचा व कारतूस	वस्तु प्रदर्श 27 लगायत 32	पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला

10. अभियोजन साक्ष्य उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2025 को बयान मुल्जिमान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किये जाने से इंकार किया गया और गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने, विवेचक द्वारा गलत आरोप पत्र प्रेषित किये जाने, अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठी गवाही दिये जाने, अभियोजन प्रपत्र गलत तैयार किये जाने व स्वयं को झूठा फंसाये जाने के संबंध में कथन करते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया है। अभियुक्त अरविन्द उर्फ अन्नू द्वारा कहा गया है कि एस०आई० रमाकान्त शुक्ला को वाहन चैकिंग के दौरान कागजात न दिखाये जाने

पर हुए बहस-विवाद के कारण उसे झूंठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त जगदीश की ओर से कहा गया है कि उसे गांव की रंजिश के कारण झूँठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त छंगा की ओर से कहा गया है कि धनीराम के साथ रिश्तेदारी में मौदहा जाते समय वाह चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल के कागजात नहीं दिखा सके और एस०आई० रमाकान्त शुक्ला को 2000/-रूपये भी नहीं दे सके, इसी बात पर बहस हो गई और प्रार्थी को मोटरसाईकिल सहित थाने पर बैठा लिया और दो दिन बाद फर्जी मुकदमें में चालान कर दिया तथा मोटरसाईकिल की 207 एम०वी० एक्ट में सीज कर दिया जो जमानत के बाद न्यायालय से रीलीज हुई। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त भूपेन्द्र की ओर से कहा गया है कि उसे चुनावी रंजिश के कारण झूंठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त मुन्ना की ओर से कहा गया है कि गांवदारी की रंजिश के कारण विरोधियों से मिलकर उसे झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में सफाई साक्ष्य देना भी व्यक्त किया गया।

11. अभियुक्त मुन्ना की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू०-1 कुदुउवा द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त मुन्ना उसके घर मकान बनवा रहा था, तथा उसके घर से अभियुक्त मुन्ना को पुलिस कपड़कर ले गयी थी। बाद में पता चला कि मुन्ना का चालान खन्ना पुलिस ने कर दिया है। उसे झूँठे मुकदमें में फंसाया गया है। अभियुक्त जगदीश की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू०-2 बिहारीलाल द्वारा कहा गया है कि वह अभियुक्त जगदीश को जानता है और करीब सात साल पूर्व पुलिस उसके पकड़कर ले गयी थी। बाद में घर वालों से पता चला था कि जगदीश का खन्ना पुलिस ने झूँठा चालान कर दिया है। अभियुक्त भूपेन्द्र की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू०-3 शारदा प्रसाद ने कहा है कि अभियुक्त भूपेन्द्र को पुलिस ने गांव से गिरफ्तार नहीं किया था, जहाँ मजदूरी करता था, बांदा से लगभग सात वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया था व उसे झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्त भूपेन्द्र की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू०-4 शफीक खां ने कहा है कि अभियुक्त भूपेन्द्र को गांव से गिरफ्तार नहीं किया गया था, अपितु बांदा से सात वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया गया था तथा उसे झूँठा फंसाया गया है।

12. न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्को को श्रवण किया गया।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण जो कि संख्या में पांच से अधिक थे, द्वारा षड़यंत्र रचकर दिनांक-29/30.01.2018 को रात्रि में समय करीब 12.30 से 01.30 बजे के बीच वादी मुकदमा कुलदीप मिश्रा के मकान स्थित ग्राम सिरसीकलां थाना खन्ना जिला महोबा में

घुसकर वादी मुकदमा व उसकी मां के साथ कट्टे की बट से मारपीट करके उसके घर से सोने की झुमकी एक तोला, एक अगूंठी 04 ग्राम, चांदी की पायल 150 ग्राम व अलमारी में रखा 25000/-रूपये नगद व एक मोबाईल 7052655385 व 9711561417 व अन्य दस्तावेज लूट लिया तथा अपने हाथ में लिये नाजायज कट्टा (तमंचा) से सुसज्नित होकर वादी मुकदमा व उसकी मां को जान से मारने की नियत से मारपीट करके घोर उपहति कारित की। उक्त लूटे हुए जेवरात, रूपयों, मोबाईल व अन्य दस्तावेजों को सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद भी किया गया है तथा अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध असलहे भी बरामद किये गये हैं। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाए।

14. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किये जाने से इंकार किया गया और गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने, विवेचक द्वारा गलत आरोप पत्र प्रेषित किये जाने, अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठी गवाही दिये जाने, अभियोजन प्रपत्र गलत तैयार किये जाने व स्वयं को झूठा फंसाये जाने के संबंध में कथन करते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया है। अभियुक्त अरविन्द उर्फ अन्नू द्वारा कहा गया है कि एस०आई० रमाकान्त शुक्ला को वाहन चैकिंग के दौरान कागजात न दिखाये जाने पर हुए बहस-विवाद के कारण उसे झूंठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त जगदीश की ओर से कहा गया है कि उसे गांव की रंजिश के कारण झूँठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त छंगा की ओर से कहा गया है कि उसका नाम छंगा नहीं हैं, अपितु धनीराम है, उसके रिश्तेदारी में मौदहा जाते समय वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल के कागजात नहीं दिखा सके और एस०आई० रमाकान्त शुक्ला को 2000/-रूपये भी नहीं दे सके, इसी बात पर बहस हो गई और प्रार्थी को मोटरसाईकिल सहित थाने पर बैठा लिया और दो दिन बाद फर्जी मुकदमें में चालान कर दिया तथा मोटरसाईकिल की 207 एम०वी० एक्ट में सीज कर दिया जो जमानत के बाद न्यायालय से रीलीज हुई। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त भूपेन्द्र की ओर से कहा गया है कि उसे चुनावी रंजिश के कारण झूंठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त मुन्ना की ओर से कहा गया है कि गांवदारी की रंजिश के कारण विरोधियों से मिलकर उसे झूँठा फंसाया गया है तथा यह भी कहा गया है कि वह अपने गांव के कुदुउवा के यहां मकान बनवाने का काम कर रहा था। वहीं से पुलिस पकड़कर उसे ले गयी। अभियुक्त भूपेन्द्र की ओर से कहा गया है कि उसे पुलिस वाले उसके काम करने वाली जगह बांदा से पकड़कर ले गये थे। बरामदगी के समय पुलिस द्वारा किस प्रकार से जेवरात को तौला गया, इसका विवरण नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कथित चक्षुदर्शी साक्षी शान्ता शुक्ला को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 घण्टे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और बिलम्व का कोई कारण नहीं बताया गया है।

मामले के चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा अपनी तहरीर में घटना में तीन-चार बदमाशों को होना कहा गया है तथा किसी भी अभियुक्त को नामित नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष हुए बयान में उसके द्वारा सभी अभियुक्तगण की संलिप्तता बतायी गयी है, जो कि उसके कथन को संदेहास्पद बनाता है। अभियुक्तगण धनीराम व अरविन्द की ओर से यह दलील दी गयी है कि उक्त अभियुक्तगण को घटना के काफी दिनों बाद गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त धनीराम का नाम छंगा नहीं है तथा अभियुक्त अरविन्द का नाम गिरफ्तारी के समय ही घटना में होना पाया गया, जो कि विवेचक की दुषित मानसिकता को दर्शाता है। वादी मुकदमा को स्वयं के लिए शस्त्र लाईसेंस प्राप्त करना था, जिस कारण उसने विवेचक रमाकान्त शुक्ला के साथ मिलकर साजिशन फर्जी लूट की घटना दिखाई व अभियुक्त धनीराम व अरविन्द की निशानदेही पर फर्जी बरामदगी दिखाई है। कोई भी अपराधी दस्तावेजों की चोरी नहीं करेगा। अभियुक्त जगदीश, मुन्ना व भूपेन्द्र की ओर से कहा गया कि उनसे बरामदगी घटना के करीब 9 दिन बाद दिखायी गयी है तो यह सम्भव नहीं है कि कोई आपराधिक व्यक्ति चुराई हुई सम्पत्ति को अपने साथ लेकर घूमेगा। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक-02.02.2018 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें जबरदस्ती प्रस्तुत मामले में शामिल होना बताया गया है। पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। अतः अभियोजन कथानक संदेहास्पद है तथा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाए।

15. न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली तथा विधि के प्राविधानों का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया गया।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये जिन साक्षीगण की साक्ष्य अंकित करायी गयी है, उनमें साक्षी पी०डब्लू०-1 कुलदीप मिश्रा ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि घटना दिनांक 29/30.01.2018 समय लगभग रात्रि 12 बजे से 01.30 बजे की है। साक्षी व साक्षी के घर के लोग घर के अंदर अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। अचनाक माता जी की चिल्लाने की आवाज साक्षी ने सुनी तो साक्षी आंगन में गया, वहां पर **चार बदमाश साक्षी की माता जी को मार पीट करके उनसे पैसा, रुपया व जेवर के संबंध में पूछंताछ कर रहे थे। साक्षी ने विरोध किया तो एक बदमाश ने साक्षी के सिर में तमंचे के बट से मार दिया और साक्षी को बांध कर वहीं डाल दिया और बदमाशों ने आलमारी का ताला तोड़ कर जेवरात सोने की झुमकी, सोने की जंजीर, चांदी की पायल, सोने की अंगूठी, एक मोबाईल, बैंक पास बुक व आधार कार्ड तथा पच्चीस हजार रुपये लूट लिये। मकान के अंदर चार बदमाश घर के अंदर आये थे व एक बदमाश छत पर था व एक बदमाश बाहर खड़ा था, कुल छः बदमाश थे।** घर में सभी जगह लाईटें जल रही थीं जिससे प्रकाश था। बदमाश लूटपाट करने के बाद फायरिंग करते हुए भाग गये। घटना के बाद सुबह साक्षी थाने

गया व घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र दे कर रिपोर्ट दर्ज करायी। **दिनांक 08.02.2018 को दरोगा जी तीन बदमाशों को पकड़े हुए खड़े थे, जिनके नाम जगदीश, मुन्ना प्रजापति व भूपेन्द्र हैं, जिनकी साक्षी, उसकी माता जी व भाई की पहचान कर बताया था कि इन्हीं तीनों बदमाशों ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उनके घर में लूटपाट की थी**। गिरफ्तार व्यक्तियों में से जगदीश के पास से छः सौ रुपये, एक चांदी की पायल, एक तमंचा, एक कारतूस, एक मोबाईल बरामद हुआ था व मुन्ना प्रजापति के पास से पांच सौ रुपये, एक चांदी की पायल, एक तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ था तथा भूपेन्द्र के पास से छः सौ रुपये, एक सोने की अंगूठी, एक तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ था। साक्षी व साक्षी की माता जी ने बदमाशों से बरामद चांदी की पायल व सोने की अंगूठी व मोबाईल को पहचान कर दरोगा जी से वहीं मौके पर बताया था कि यह बरामद सामान उनका है। **जगदीश, मुन्ना प्रजापति व भूपेन्द्र ने दरोगा जी को हमारे सामने बताया था कि घटना कारित करने में छंगा उर्फ धनीराम, अरविन्द उर्फ अन्नू , बिन्दादीन उर्फ विन्डोला भी हम लोगों के साथ सम्मिलित थे**। बरामद माल को मौके पर ही दरोगा जी ने सील मोहर किया था व मौके पर ही लिखा पढी हुई थी व हमे पढ़ कर सुनाया था, इसके बाद हम लोगों ने हस्ताक्षर बनाये थे। दिनांक 26.05.2018 को अन्नू उर्फ अरविन्द व छंगा उर्फ धनीराम की गिरफ्तारी हुई थी व उसके कब्जे से माता जी की बैंक की पासबुकें, साक्षी के भाई की पास बुकें जिनमें माता जी व भाई की फोटो लगी हुई थी व साक्षी का आधार कार्ड जिसमें साक्षी की फोटो थी व ए०टी०एम० कार्ड बरामद हुए थे। बरामद माल को मौके पर सीलमोहर किया था व लिखा पढ़ी की थी। दिनांक 08.06.2018 को पुलिस ने अभियुक्त विन्डोला उर्फ विन्दादीन को गिरफ्तार किया था व उसके कब्जे से एक तमंचा व चार कारतूस व एक सोने की चेन, बयालिस सौ रुपये निकले व आधार कार्ड, पहचानपत्र, ड्राईविगं लाईसेन्स बरामद किये थे। आधार कार्ड, पहचान पत्र व ड्राईविग लाईसेन्स में सूरज शर्मा उर्फ बाबा नाम पडा था। साक्षी **ने बरामद सोने की चेन देखकर मौके पर बताया था कि यह उसकी चैन है**। बरामद माल मौके पर सीलमोहर किया था व मौके पर ही मोबाईल की टार्च जला कर लिखा पढ़ी की थी, लिखा पढ़ी करने के बाद पढ़ कर सुनाया था जिसके बाद हमलोगों ने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है तथा अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद **वस्तुओं को वस्तु प्रदर्श-1 लगायत वस्तु प्रदर्श 21 के रूप में साबित किया है।** यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है तथा इसके समक्ष चार लोगों द्वारा उसके घर में घुसकर पैसा, जेवरात आदि लूटने की घटना को देखा गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी तहरीर में तीन-चार लोगों द्वारा घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु न्यायालय के समक्ष कुल छः लोगों को घटना में शामिल होना कहा गया है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण से बरामद वस्तुओं को भी न्यायालय के समक्ष वस्तु प्रदर्श के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी

को अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना कहा गया है, परन्तु इस साक्षी के न्यायालय के समक्ष हुए बयान के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि इस साक्षी द्वारा विवेचक को दिये अपने पूर्व के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० तथा अपनी तहरीर के कथनों में संशोधन करते हुए कथन किये गये हैं। विधिक सिद्धान्त कि जो एक बात में झूंठा है, वह सब बातों में झूँठा हो, भारत में लागू नहीं है। अतः इस साक्षी के बयानों पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता, अपितु इस साक्षी के कथनों पर आंशिक रूप से विश्वास करते हुए इस साक्षी के साक्ष्य जो अन्य साक्ष्यों से समर्थित हो, उन पर विश्वास किया जाना ही विधि सम्मत होगा।

17. साक्षी पी०डब्लू०-2 सौरभ मिश्रा ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि घटना दिनांक-29/30.01.2018 की रात्रि समय लगभग 12-12:30 बजे की है। साक्षी, साक्षी का भाई कुलदीप मिश्रा, साक्षी की माता श्रीमती विमला मिश्रा व साक्षी की बुआ श्रीमती शांता शुक्ला घर में मौजूद थे और अपने-अपने कमरों में लेटे थे। रात्रि में बदमाश अचानक घर के अंदर प्रवेश किये और सबसे पहले साक्षी की माता जी के कमरे में पहुँचे और माता जी की मारपीट करते हुए आंगन में ले आये। **आवाज सुनकर साक्षी आंगन में पहुँचा तो बदमाश माता जी के बाल पकड़कर खींच रहे थे और भाई के माथे से खून निकल रहा था, भाई के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। बदमाशों ने साक्षी के भी हाथ पीछे की तरफ बांध दिये और साक्षी से गड़े हुए धन व जेवरात आदि के बारे में पूछने लगे और साक्षी के कमरे में ले गये और वहां पर रखी अलमारी का ताला तोड़ कर उससे जेवरात व पैसे निकाल लिये।** अन्य जेवरात लूटने के उपरान्त बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। दिनांक-08.02.2018 को जब साक्षी, साक्षी का भाई कुलदीप मिश्रा व साक्षी की माता जी श्रीमती विमला मिश्रा अपने मामा के घर से वापस आ रहे थे, **तभी रास्ते में बिछुहिया नाला के पास में दरोगा जी ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया था जिन्हें साक्षी ने पहचाना था। पकड़े गये बदमाशों में से अभियुक्त जगदीश के पास से छः सौ रूपये, एक चांदी की पायल, एक तमंचा, एक कारतूस व मोबाईल फोन बरामद हुआ था। दूसरे अभियुक्त के पास से पांच सौ रूपये, एक चांदी की पायल, एक तमंचा, एक कारतूस बरामद किया था। तीसरे अभियुक्त भूपेन्द्र के पास से पांच सौ रूपये, एक सोने की अंगूठी, एक तमंचा व एक कारतूस बरामद किया, जिसकी फर्द बनाई थी।** बदमाश साक्षी के घर से एक तोले सोने की झुमकी, एक तोला सोने की जंजीर, एक सोने की अंगूठी, दो जोड़ी चांदी की पायलें व एक चांदी की बिछुवा व अन्य **छोटा-मोटा सामान एवं 45000/-रूपये लूट कर ले गये थे।** इस साक्षी द्वारा कागज संख्या-5क फर्द बरामदगी पर स्वयं के हस्ताक्षर होने तथा उसमें लिखे तथ्यों की पुष्टि की है। यह भी कहा है कि हाजिर अदालत जगदीश, विन्दोला व मुन्ना ने लूटपाट करते समय घर में थे तथा हाजिर अदालत भूपेन्द्र घटना के समय हमारे घर के बाहर खड़ा था। इस साक्षी को

अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना कहा गया है, परन्तु इस साक्षी के न्यायालय के समक्ष हुए बयान के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि इस साक्षी द्वारा विवेचक को दिये अपने पूर्व के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० के कथनों में संशोधन करते हुए कथन किये गये हैं। विधिक सिद्धान्त कि जो एक बात में झूंठा है, वह सब बातों में झूँठा हो, भारत में लागू नहीं है। अतः इस साक्षी के बयानों पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता, अपितु इस साक्षी के कथनों पर आंशिक रूप से विश्वास करते हुए इस साक्षी के साक्ष्य जो अन्य साक्ष्यों से समर्थित हो, उन पर विश्वास किया जाना ही विधि सम्मत होगा।

18. **साक्षिया पी०डब्लू०-3 श्रीमती विमला** पत्नी वीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि घटना दिनांक 29/30.01.2018 समय लगभग रात्रि 12 बजे से 01.30 बजे की है। साक्षिया व उसके घर के लोग घर के अन्दर अलग अलग कमरों में सो रहे थे। **अचानक घर के अन्दर चार बदमाश घुस आये व साक्षिया का मुंह दबा दिया और साक्षिया से कहने लगे कि मालपानी कहां हैं** निकालो। जब बदमाशों ने साक्षिया मुंह दबाया था तो वह चिल्लाई थी। इसके बाद साक्षिया को मारते पीटते आंगन में ले गये और आंगन में मारपीट कर रहे थे। उसी समय चिल्लाने की आवाज सुनकर साक्षिया का बड़ा लड़का कुलदीप आ गया जिसने बदमाशों से विरोध किया तो उसके माथे में एक बदमाश ने कट्टे की बट से मार दिया और उसके हांथ पैर बांध दिये। इसके बाद साक्षिया के दूसरे लड़के सौरभ के भी हांथ पैर बांध दिये। **सौरभ जिस कमरे में लेटा था उसी में गोदरेज की अलमारी रखी थी। बदमाशों ने गोदरेज की अलमारी तोड़कर अलमारी से सोने की झुमकी, सोने की जंजीर, चांदी की पायल, सोने की अंगूठी, एक मोबाईल सौरभ का, बैंक पासबुक, आधारकार्ड व 25000/-रूपये नगदी लूट लिये। मकान के अन्दर चार बदमाश आये थे। एक बदमाश छत पर खड़ा था। एक बदमाश बाहर खड़ा था। कुल 6 बदमाश थे।** घर में सभी जगह लाईटें जल रही थीं जिससे प्रकाश था। जब बदमाश साक्षिया की मारपीट कर रहे थे, उस समय उसकी ननद शान्ता भी उसी समय उसके पास आ गयी थी। सभी बदमाश लूट पाट करने के बाद भाग गये थे। **साक्षिया ने सभी बदमाशों को चेहरे मोहरे से अच्छी तरह से पहचान लिया था।** घटना के बाद सुबह थाने में प्रार्थना पत्र देकर साक्षिया के लड़के कुलदीप ने घटना की रिपोर्ट की थी। दिनांक 08.02.2018 को साक्षिया व उसके दोनों लड़के कुलदीप व सौरभ तीनों लोग अपने मायके से वापस मोटर साईकिल से आ रहे थे। जैसे ही हम लोग समय **लगभग 11 से 11.30 बजे दिन बिछुईया नाला पर पहुंचे तो देखा कि दरोगा जी तीन बदमाशों को पकड़े हुये थे। जिनके नाम जगदीश, मुन्ना प्रजापति व भूपेन्द्र हैं। साक्षिया व उसके दोनों लड़कों ने बदमाशों को देखकर व पहचानकर दरोगा जी से बताया था कि साहब इन्हीं तीनों लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे घर में लूटपाट की घटना कारित की थी।** दरोगा जी ने गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों की हमारे सामने तलाशी ली थी तो जगदीश के पास

से मु० 600/-रूपये, एक चांदी की पायल, एक तमंचा, एक कारतूस, एक मोबाईल बरामद हुआ था और अभियुक्त मुन्ना प्रजापति के पास से मु० 500/-रू०, एक चांदी की पायल, एक तमचा व एक कारतूस बरामद हुआ था तथा अभियुक्त भूपेन्द्र के पास से मु० 500/-रू0, एक सोने की अंगूठी, एक तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ था। साक्षिया व उसके दोनों लड़कों ने बदमाशों से बरामद चांदी की पायलें व सोने की अंगूठी व मोबाईल को पहचान कर दरोगा जी को मौके पर बताया था कि यह बरामद माल हमारा है। **बरामद मोबाईल साक्षिया के पुत्र सौरभ का था। मौके पर ही बरामद माल को सील मुहर किया था व लिखापढी की गयी थी।** लिखापढ़ी करने के बाद साक्षिया व उसके पुत्रों ने हस्ताक्षर किये थे। पूंछतांछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया था कि घटना कारित करने में छंगा, **अरविन्द**, विन्दादीन उर्फ विन्डोला हम लोगों के साथ सम्मिलित था। माह मई सन 2018 को अरविन्द व छंगा को पुलिस गिरफ्तार करके हमारे गांव लाई थी क्योंकि इन लोगों ने बताया था कि कागजात खेत में गढ़े हुये हैं। उनकी तलाशी करने के लिये ट्रैक्टर से जुताई कराना है। इसके बाद दरोगा जी ट्रैक्टर व अभियुक्तों को लेकर खेत में गये थे। साक्षिया व उसके लड़के कुलदीप व सौरभ व गांव के लोग भी साथ में गये थे। अरविन्द व छंगा के द्वारा बताये गये स्थान पर दरोगा जी ने खेत की जुताई कराई थी तो जुताई करने के बाद एक पॉलीथीन में कागज डले हुये मिले थे। जिन्हें खोलकर देखा गया था तो उनके अन्दर से साक्षिया के बैंक की पासबुकें और साक्षिया के लड़कों की बैंक की पासबुकें, आधारकार्ड आदि बरामद हुये थे, जिनमें हम लोगों की फोटो लगी हुई थी। ए०टी०एम० कार्ड भी बरामद हुआ था। बरामद माल को मौके पर सील मुहर किया गया था और मौके पर ही लिखा पढ़ी की गयी थी। इसके बाद हम लोगों ने हस्ताक्षर किये थे। दरोगा जी छंगा व अरविन्द को लेकर जब गांव गये थे तो साक्षिया व उसके लड़कों ने उन्हें देखकर व पहचानकर दरोगा जी को बता दिया था कि ये लोग भी घटना करने में सम्मिलित थे। **माह जून 2018 में रात्रि में लगभग 10 से 10.30 बजे पुलिस हमारे घर आई थी और पुलिस ने साक्षिया के लड़के कुलदीप व उसके पति से कहा था कि चलो अभियुक्त की तलाश करना है और उन्हें अपने साथ लेकर पुलिस चली गई थी**। वापस जब साक्षिया का पति व उसका लड़का घर आया था तो उन्होंने साक्षिया को बताया था कि बिन्दादीन उर्फ विन्डोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है व उसके पास से एक सोने की चैन, रूपये, फोटो कागजात बरामद हुये थे। बरामद चैन अपनी थी। **हाजिर अदालत बिन्दादीन उर्फ विन्डोला, जगदीश व मुन्ना को देखकर गवाह ने कहा कि इन लोगों ने अपने तीन और साथियों के साथ मिलकर हमारे साथ लूटपाट की घटना कारित की थी। साक्षिया इन्हें आज चेहरे मोहरे से अच्छी तरह से पहचान रही हूँ**। अगर इनके अन्य साथी भी आज न्यायालय में उपस्थित होते तो उन्हें भी साक्षिया चेहरे मोहरे से अच्छी तरह से पहचान लेती। साक्षिया ने पत्रावली विशेषवाद सं० 51/2018 सरकार बनाम विन्डोला उर्फ बिन्दादीन में संलग्न का०

सं० 8 क 1 लगायत 8 क/2 फर्द बरामदगी में बने अपने हस्ताक्षर देखकर व पहचानकर पुष्टि की। साक्षिया ने पत्रावली विशेषवाद सं० 22/2018 सरकार बनाम जगदीश धारा-25 आयुध अधि० थाना खन्ना में संलग्न का0 सं0 5 क फर्द बरामदगी में बने अपने हस्ताक्षर देखकर व पहचानकर पुष्टि की। मामले के विवेचक ने साक्षिया का बयान लिया था। दरोगा जी ने घटना स्थल का नक्शा बनाया था तब साक्षिया भी मौके पर थी। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना कहा गया है, परन्तु इस साक्षी के न्यायालय के समक्ष हुए बयान के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि इस साक्षी द्वारा विवेचक को दिये अपने पूर्व के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० के कथनों में संशोधन करते हुए कथन किये गये हैं। विधिक सिद्धान्त कि जो एक बात में झूंठा है, वह सब बातों में झूँठा हो, भारत में लागू नहीं है। अतः इस साक्षी के बयानों पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता, अपितु इस साक्षी के कथनों पर आंशिक रूप से विश्वास करते हुए इस साक्षी के साक्ष्य जो अन्य साक्ष्यों से समर्थित हो, उन पर विश्वास किया जाना ही विधि सम्मत होगा।

19. साक्षी पी०डब्लू०-4 साक्षी हे० कां० मो० एहेतशाम ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि दिनांक 30.01.2018 को थाना खन्ना जनपद महोबा में बतौर कां० मु० कार्यलेख पर मौजूद था तभी श्री कुलदीप मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दाखिल कार्यालय की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर **मु०अ०सं० 13/2018 धारा-394 मा०दं०सं० बनाम चार बदमाश नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया था तथा मजरूब को उपचार हेतु पी०एच०सी० खन्ना/कबरई रवाना किया था।** मुकदमा उपरोक्त का सम्पूर्ण खुलासा रोजनामचा की रपट नं० 18 दिनांक 30.01.2018 पर अंकित है। दिनांक 08.02.2018 को दौराने कार्यलेख प्रभारी निरीक्षक अब्दुल रज्ज़ाक द्वारा दाखिल फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 18/2018, धारा-3/25 आयुध अधि० बनाम जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली बांदा जिला बांदा व मु०अ०सं० 19/2018, धारा-3/25 आयुध अधि० बनाम मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनूबाद निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली बांदा जिला बांदा व मु०अ०सं० 20/2018 धारा-3/25 आयुध अधि० बनाम भूपेन्द्र पुत्र झुरियां प्रजापति निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जिला महोबा के विरूद्ध पंजीकृत किया था। मुकदमे का सम्पूर्ण खुलासा रोजनामचा आम रपट नं0 17 दिनांक 08.02.2018 पर अंकित है। उक्त सम्बन्ध में विवेचक द्वारा साक्षी का कथन अंकित किया गया था। साक्षी ने पत्रावली विशेषवाद सं0 4/2018 में संलग्न का0 सं0 4 क / 1 लगायत 4 क/4 को देखकर कहा कि यह चिक एफ०आई०आर० साक्षी द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार की गई थी। साक्षी इस पर लिखे सभी तथ्यों की पुष्टि की है जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न का०सं० 19 क/62 कायमी जी०डी० की छायाप्रति को देखकर

कहा कि ये साक्षी के लेख में है व इस पर साक्षी के हस्ताक्षर बने हुये हैं। साक्षी इस पर लिखे सभी तथ्यों व अपने लेख व बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि कर प्रमाणित किया है जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। साक्षी ने विशेष वाद सं० 22/2018 सरकार बनाम जगदीश धारा-3/25 आयुध अधि० में संलग्न का० सं० 4क/1 लगायत 4क/4 चिक एफ०आई०आर० को साक्षी ने प्रदर्श क4 के रूप में साबित किया है। गवाह ने विशेष वाद सं0 23/2018 सरकार बनाम मुन्ना प्रजापति धारा-3/25 आयुध अधि० में संलग्न का० सं० 4क/1 लगायत 4क/4 चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है। गवाह ने विशेष वाद सं० 24/2018 सरकार बनाम भूपेन्द्र धारा-3/25 आयुध अधि० में संलग्न का० सं० 4क/1 लगायत 4 क/4 चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क 6 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने विशेष वाद सं0 22/2018 में संलग्न का०सं० 10क को देखकर कहा कि यह कायमी जी०डी० को प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया है।

20. साक्षी पी०डब्लू०- 5 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक अब्दुल रज्ज़ाक ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि दिनांक 08.02.2018 को साक्षी प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना के पद पर नियुक्त था। उस दिन साक्षी थाने से बहवाले जी०डी० नं० 4 समय 3.39 बजे रोजनामचे थाने से रवाना होकर अपने साथ एस०आई० रमाकान्त शुक्ला, कां० सजीवनलाल, कां० गजेन्द्र पाल मय जीप सरकारी व कां० ड्राईवर संतोष कुमार के साथ ग्राम तेंदुही में तलाश वांछित अपराधी एवं मु०अ०सं० 13/2018 धारा-394 भा०दं०सं० से सम्बन्धित अज्ञात अभियुक्तों की तलाश एवं माल मशूका की तलाश में मामूर था। सूचना मिली कि तीन व्यक्ति बिछुइया नाला पर तीन बदमाश देखे गये हैं। जो अवैध असलहों से लैस हैं तथा इन बदमाशों का सम्बन्ध सिरसीकला गांव की लूटपाट में भी हो सकता है और ये कोई अन्य घटना भी कर सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके मय एस०एच०ओ० ग्राम तेंदुही से मुखबिर व गवाहान के फराहम करने का प्रयास करते हुये खिरुही बिछुइया नाला से लगभग 500 मी० पहले जीप खड़ा करके उसमें ड्राईवर को छॅाड़कर मय मुखबिर के रपटा पुलिया के नजदीक पहुंचे तो नाला रपटा पर तीन व्यक्ति खड़े दिखाई दिये। मुखबिर इशारा करके चला गया। हम पुलिस फोर्स के साथ नाला की तरफ बढ़े। नजदीक पहुंचने पर पुलिस की वर्दी को देखकर ये बदमाश खिरुही की तरफ भागे कि एक बारगी दबिश देकर घेरकर तीनों बदमाशों को समय 10.30 बजे दिन पकड़ लिया। नाम पता पूंछा तो एक ने अपना नाम जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर बांदा बताया जिसकी जामा तलाशी से उसके लोवर की बांयी फेट से एक अदद तमंचा 315 बोर व उसकी नाल में एक कारतूस जिन्दा 315 बोर लगा हुआ था। इसके पहने शर्ट की बांयी जेब से मोबाईल मैफे व दो सिम का चालू हालत में मिला जिसकी आई०एम०ई०आई० नं० फर्द में अंकित है व उनके मोबाईल नं० भी फर्द में अंकित हैं। इसके लोवर के दांयी जेब से एक पायल चांदी की

बरामद हुई तथा 600/- रूपये जिसमें 50/-रू0 के दो नोट, 10/-रू0 के पचास नोट बरामद हुये थे। दूसरे बदमाश ने अपना नाम मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुबाद निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर बांदा बताया। जिसकी पैंट की दांयी फेट से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाल के अन्दर बरामद हुई। तमंचा चालू हालत में था। सामने की जेब से 700/- रूपये व एक पायल चांदी की बरामद हुई। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम भूपेन्द्र पुत्र झुरिया निवासी सिरसीकला थाना खन्ना जिला महोबा बताया। जिसकी पैंट की बांयी फेट से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। जैकेट की दांयी जेब से एक सोने की अंगूठी लगभग 4 ग्राम की बरामद हुई। पैंट की दांयी जेब से 500/-रूपये का एक नोट बरामद हुआ। तीनों बदमाशों से पूंछतांछ करने पर बताया कि दिनांक 29/30.01.2018 को रात्रि में ग्राम सिरसीकला में वीरेन्द्र मिश्रा के घर में लूटपाट की थी। जिसमें जेवर व रूपये मिला था। **इस घटना में हम तीनों के अलावा विन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना था तथा उसके साथ एक छंगा नाम का व्यक्ति जो विन्डोला के साथ था। जिसका नाम पता विन्डोला ही जानता है। हम तीनों के पास से जो कट्टे बरामद हुये हैं, उन्हें हम उक्त घटना के समय ही भी लिये थे। इस घटना में भूपेन्द्र की मुखबिरी थी। उसने बताया था कि जहां हमने लूटपाट की है उनके पास काफी धन है और गढ़ा हुआ भी धन है। इस घटना की मुखबिरी भूपेन्द्र ने की थी, भूपेन्द्र ही हमें लाया था। इस घटना की योजना मुन्ना के घर में हुई थी। माल हम लोगों ने बांट लिया था। इस घटना के बाद छंगा व बिन्दादीन हमें नहीं मिले।** जो माल हमसे बरामद हुआ है, वह सिरसीकला की घटना का है। इसी दौरान कुलदीप वादी मुकदमा व उसके परिजन को गवाह जिन्होंने जगदीश व मुन्ना को पहचाना व अपने माल को भी पहचाना। बरामद तमंचा, कारतूस को अलग-अलग कपडों में बांधकर सीलमुहर किया तथा माल मुकदमाती को अलग-अलग बरामदगी के अनुसार सीलमुहर किया गया व नमूना मुहर बनाया। अभियुक्तों को बताया गया कि उनका यह अपराध धारा-3/25 आर्म्स एक्ट व धारा-394,411,120 बी भा०दं०सं० की सीमा में आता है। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया। फर्द एस०आई० श्री रमाकान्त शुक्ला को बोल-बोलकर साक्षी के द्वारा लिखाई गयी थी। फर्द पर हमराहियान व उसके साक्षियों के व अभियुक्तों के तथा फर्द की नकल **तीनों अभियुक्तों की सहमति से अभियुक्त भूपेन्द्र को दी थी। ती**नों मुल्जिमानों को थाने लाकर माल मुल्जिमान को सुपुर्द कर माल को मालखाने में तथा मुल्जिमानों को हवालात के अन्दर दाखिल कर मु०अ०सं० 18/2018, 19/2018, 20/2018 धारा-3/25 आर्म्स के अन्तर्गत साक्षी के द्वारा अभियोग पंजीकृत करवाये। मु०अ०सं० 13/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018 के विवेचनों ने साक्षी के बयान लिये थे। गवाह ने विशेषवाद सं० 22/2018 सरकार बनाम जगदीश धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्ना में संलग्न कां०

सं० 5 क फर्द बरामदगी को देखकर कहा कि यह फर्द बरामदगी साक्षी के द्वारा बोलबोल कर एस०आई रमाकान्त शुक्ल से तैयार कराई थी, साक्षी ने एस०आई० रमाकान्त शुक्ल के लेख को प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया है।

21. साक्षी पी०डब्लू०-6 उपनिरीक्षक रमेश सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि साक्षी 09.06.2018 को थाना खन्ना में उपनिरीक्षक के पद चौकी प्रभारी ग्योढ़ी पर तैनात था। उस दिन एस०ओ० श्री शांतो सिहं द्वारा मु०अ०सं०-65/2018 अंतर्गत धारा 25 आर्म्स अधिनियम थाना खन्ना जिला महोबा की विवेचना साक्षी को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरांत साक्षी पर्चा नं०-1 दिनांक 09.06.2018 को किता किया गया **जिसमें फर्द बरामदगी की नकल करते हुए कायमी व कथन अभियुक्त विन्दोला उर्फ विन्दादीन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए रिमान्ड प्राप्त किया गया।** दिनांक 12.06.2018 पर्चा नं०-2 किता करते हुए न्यायालय वादी, बयान एस०आई० रमाकान्त शुक्ल, बयान गवाह कां० प्रदीप कुमार, व बयान गवाह अंकित करते हुए वादी की निशांदेही पर निरीक्षण घटना स्थल किया गया। तत्पश्चात 09.07.2018 को पर्चा नं०-3 किता करते हुए अभियोजन करते हुए अभियोजन स्वीकृत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा अभियुक्त को विन्दोला उर्फ विन्दादीन के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 58/2018 प्रेषित किया गया। 27.07.2018 को पूरक पर्चा 1 किता करते हुए लेखक एफ०आई०आर० के बयान अंकित किये। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 8 क नक्शा नजरी प्रदर्श क 11 को साबित किया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 9 क अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क 12 को साबित किया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न 3 क/1 लगायत 3 क/4 आरोप पत्र प्रदर्श क 13 को साबित किया है।

22. साक्षी पी०डब्लू०-7 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि साक्षी **दिनांक 05.06.2018** को थाना खन्ना में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। इसी दिन साक्षी द्वारा मु०अ०सं० 13/2018 अंतर्गत धारा 395, 397, 412, 120 बी भा०दं०सं० व 10/12 डकैती अधिनियम थाना खन्ना की विवेचना ग्रहण की थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त पर्चा नं०-7 किता किया था जिसमें बयान वादी व श्रीमती विमला अंकित किए। दिनांक 08.06.2018 पर्चा नं०-8 किता किया। दिनांक 09.06.2018 को पर्चा नं०-9 किता किया। दिनांक 08.06.2018 को साक्षी स्वयं मय हमराही उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ल, कां० प्रदीप, कां० गर्जेन्द्र पाल मय जीप सरकारी व जीप चालक के साथ थाना हाजा से वह वाले रपट नं०-49 समय 21:36 बजे रवाना होकर देखभाल क्षेत्र ग्राम सिरसीकलां जहां से वादी मुकदमा श्री कुलदीप पुत्र वीरेन्द्र मिश्रा निवासी सिरसीकलां, थाना खन्ना को साथ लेकर तलाश मुल्जिमान मु०अ०सं० 19/2018 ग्राम पचपहरा की ओर गये तथा मुखबिर खास मिला उसने घटना की उपरोक्त अ०सं० के अभियुक्त विन्दोला समूरिया मोड़ के करीब

पुलिया के पास बैठा है अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा है। अगर जल्दी दबिश दी जाए तो पकड़ा जा सकता है। साक्षी एस०ओ० हमराही फोर्स के साथ मुखबिर को लेकर जीप से बताये हुये स्थान नपूरिया मोड़ पर आया तो मुखबिर ने एक व्यक्ति को नपूरिया मोड़ पर पुलिया में बैठा दिखाकर चला गया। साक्षी ने मय फोर्स के साथ एक ही बार में दबिश देकर उपरोक्त व्यक्ति को पकड़ लिया नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम विन्दोला उर्फ विन्दादीन पुत्र श्री मंगी प्रजापति थाना खन्ना, जिला महोबा बताया। कारतूस पीतल के जिन्दा बरामद हुए। पैंट की बांयी जेब से एक आधार कार्ड जिसमें सूरज शर्मा पुत्र रामवीर शर्मा अंकित था तथा विन्दोला की फोटो लगी थी तथा एक ड्राइविंग लाईसेंस भी सूरज शर्मा का बरामद हुआ जिसमें विन्दोला की फोटो लगी थी व एक अदद मोटरसाईकिल बरामद हुयी। पहने हुए कमीज के जेब से एक अददे सोने के चैन बरामद हुयी जिसमें कुन्दा नहीं था। 4200/- रु नगद बरामद हुए। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न 20क/1 लगायत 20क/2 फर्द बरामदगी प्रदर्श क 14 को साबित किया है। कागज संख्या 8क/1 लगायत 8क/3 फर्द को साक्षी ने प्रदर्श क 15 के रूप में साबित किया है। नक्शा नजरी को प्रदर्श क 16 के रूप में साबित किया है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11 क गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क 17 के रूप में साबित किया है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 18 क गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त विन्दोला उर्फ विन्दादीन को प्रदर्श क 18 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/13 आरोप पत्र को प्रदर्श क 19 के रूप में साबित किया है। साक्षी द्वारा मु०अ०सं० 65/2018 थाना खन्ना अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम सरकार बनाम विन्दोला उर्फ विन्दादीन पंजीकृत किया कराया गया। इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष एक सील मुहर बन्डल पेश किया, जो प्लास्टिक का डिब्बा है उसके ऊपर मु०अ०सं० 65/2018 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम सरकार बनाम विन्दोला उर्फ विन्दादीन के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर 4 जिंदा कारतूस, एक अन्य डिब्बे को खोलकर साक्षी को दिखाया गया जिसके अंदर एक तमंचा 315 बोर, 4 अदद कारतूस 315 बोर निकले जिनको साक्षी ने क्रमशः वस्तु प्रदर्श 22, 23, 24, 25, 26 के रूप में साबित किया है।

23. साक्षी पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि साक्षी दिनांक 30.01.2018 को थाना खन्ना में एस०आई० के पद पर तैनात था। इसी दिन साक्षी को मु०अ०सं० 13/2018 धारा–394 भा०दं०सं० थाना खन्ना की विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त इसी दिन साक्षी द्वारा पर्चा नं० 1 किता किया गया। जिसमें नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल रपट सं० 18 का अवलोकन कर अंकित किया व बयान एफ०आई०आर० लेखक, बयान वादी मुकदमा कुल्दीप मिश्र, बयान गवाह पीड़िता श्रीमती विमला मिश्रा, बयान गवाह सौरभ उर्फ शिवांश, बयान गवाह

श्रीमती शान्ता शुक्ला, बयान गवाह स्वतंत्र साक्षी बल्दाऊ, कारेलाल, चुन्नू वीरेन्द्र मिश्र अंकित किये व वादी की निशा देही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार कर अंकित किया। दिनांक 02.02.2018 को पर्चा नं० 2 किता किया। जिसमें अभियुक्तों की तलाश की गयी। दिनांक 05.02.2018 को पर्चा नं० 3 किता किया गया। जिसमें लूट में गये मोबाईल की सी०डी०आर० प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की। दिनांक 06.02.2018 को पर्चा नं0 4 किता किया। जिसमें अभियुक्तगणों की तलाश की गयी। दिनांक 08.02.2018 को साक्षी एस०एच०ओ० अब्दुल रज्ज़ाक व कां० सजीवनलाल, कां० गजेन्द्र पाल मय सरकारी जीप मय चालक संतोष कुमार के साथ थाने से रपट नं0 4 समय 3.39 ए०एम० पर देखभाल क्षेत्र रोकथाम अपराध व वांछित अज्ञात बदमाश सम्बन्धित मु०अ०सं० 13/2018 धारा–394 भा०वं०सं० रवाना होकर क्षेत्र में ग्राम हिंदुही में मौजूद थे उसी समय मुखबिर ने सूचना दी कि तीन अज्ञात व्यक्तियों बदमाश किस्म के अवैध असलहों सहित हिंदुही खिरुही मार्ग पर स्थित पुलिया नाला पर देखे गये हैं। मुखबिर की बात पर विश्वास करके हम लोग बिछुहिया नाला के पास गये व नाले के 500 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करके छुपते छुपाते नाले के पास पहुंचे तो तीन व्यक्ति नाले पर खड़े दिखे। मुखबिर ने इशारा किया कि यह वही व्यक्ति हैं जिनके विषय में आपको बताया था और चला गया। हम लोग जैसे ही नाला के रपटा के पास पहुंचे तो हम पुलिस वालों को वर्दी में अपनी ओर आता देखकर तीनों व्यक्ति खिरूही की तरफ भागे। हम लोगों ने आवश्यक बल प्रयोग करके खिरुही जाने वाली सड़क पर तीनों व्यक्तियों को समय 10:30 बजे दिन में पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्तियों के कमरा नाम पते पूछे गये व जागा तलाशी ली गयी तो एक व्यक्ति ने अपना नाम जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर बांदा बताया तथा जामा तलाशी से उसकी लोवर की बासी फेट से एक अदद तमधा 315 बोर बरामद हुआा जिसे खोलकर देखा गया तो तमगे की नाल में एक जिन्दा कारतूस 315 बोर फंसा था व शर्ट की बांगी जेब से एक अदद मोबाईल MAFE रंग सफेद नीला बरामद हुआ व मोबाईल को खोलकर उसके IMEI नम्बर देखे गये जिस पर एक सिम पड़ी थी। मोबाईल चालू हालत में था व पहने हुये लोवर की दांयी जेब से एक अदद पायले चांदी की व नगद रूपया 600 बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुबाद निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग याना कोतवाली नगर बांदा बताया जिसकी जामा तलाशी से उसकी पेट की दांयी फेट से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। तमंचा को खोलकर देखा गया तो तमंचे की नाल में एक 315 बोर कारतूस जिन्दा फंसा हुआ था व उसकी सामने की जेब से 700/–रूपये व एक पायल चांदी की बरामद हुई। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम भूपेन्द्र पुत्र झुरिया प्रजापति निवासी सिरसीकला थाना खन्ना महोबा बताया। जिसकी जामा तलाशी से पैन्ट की बायी जेब से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। तमंचे की नाल खोलकर देखी गयी तो नाल

में एक जिन्दा कानतूस 315 बोर फसा हुआ था तथा जैकेट की दांयी जेव से एक अदद सोने की अंगूठी व जीन्स पैन्ट की दांयी जेब से एक 500 का नोट बरामद हुआ। तीनों बदमाशों से पूछतांछ की गयी व अभियुक्तों ने बताया कि भूपेन्द्र की योजना पर हम लोगों ने बिन्दादीन उर्फ विन्डोला व छंगा के साथ मु०अ०सं० 13/2018 के वादी के घर लूट की घटना कारित की थी। इसी दौरान वादी मुकदमा कुलदीप अपनी माताजी विमला व भाई सौरभ के साथ मौके पर आ गया था। उक्त तीनों ने अभियुक्तों से बरामद माल मसूदा को देखकर व पहचानकर कहा कि यह माल हमारा है जो लूट में लुटेरे लूट ले गये थे व गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को देखकर व पहचानकर कहा कि इन तीनों लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे घर में डकैती की घटना कारित की। बरामद माल को मौके पर सील मुहर किया गया व बरामद माल की फर्द साक्षी द्वारा अब्दुल रज्ज़ाक के बोलने पर अक्षरशः अंकित की गयी व साक्षियों व हमराहियों द अभियुक्तगणों से हस्ताक्षर कराये गये। फर्द की एक प्रति गिरफ्तार अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त भूपेन्द्र प्रजापति को दी गयी। दिनांक 08.02.2018 को ही साक्षी के द्वारा पर्चा नं0 4 किता किया गया। जिसमें फर्द बरामदगी दिनांक 08.02.2018 का अवलोकन कर अंकित किया। इसके उपरांत बयान अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना प्रजापति, भूपेन्द्र अंकित किये व गवाह राजेन्द्र के बयान अंकित किये। दिनांक 08.02.2018 को ही पर्चा नं० 5ए किता किया। जिसमें वादी एस०एच०ओ० श्री अब्दुल रज्ज़ाक की उपस्थिति घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार कर अंकित किया। दिनांक 10.02.2018 को पर्चा नं० 6 किता किया। जिसमें बयान फर्द गवाह कुलदीप मिश्र, श्रीमती विमला मिश्र, सौरभ उर्फ शिवांश, श्रीमती शान्ता, एस०एच०ओ० श्री अब्दुल रज्ज़ाक, काठ सजीवनलाल यादव, कां० गजेन्द्र सिंह पाल अंकित किये। दिनांक 19.02.2018 को पर्चा नं० 7 किता किया। जिसमें अन्य अभियुक्तों की तलाश की। दिनांक 20.02.2018 को पर्चा नं० 8 किता किया। जिसमें बयान गवाह संदीप कुमार मिश्र अंकित किये। दिनांक 22.02.2018 को पर्चा नं0 9 अंकित किया। जिसमें अभियुक्तों का रिमाण्ड लिया। दिनांक 25.02 2018 को पर्चा नं0 10 किता किया। जिसमें लूट में गया **वादी के भाई शिवांश के मोबाईल के सम्बन्ध में सी०डी०आर० प्राप्त किया। जिससे शिवांश का मोबाईल होना स्पष्ट हुआ जो जगदीश के कब्जे से बरामद हुआ था व शिवांश ने मोबाईल की शिनाख्त की।** इसके उपरांत बयान गवाह भगवानदीन उर्फ लल्लू अंकित किये व मामले से सम्बन्धित अन्य तथ्यों की जानकारी कर अंकित किया। दिनांक 26.02.2018 को पर्चा नं0 11 किता किया। जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी। दिनांक 07.03.2018 को पर्चा नं0 12 किता किया। दिनांक 08.03.2018 को पर्चा नं0 13 किता किया। जिसमें अवलोकन शपथपत्र हरिदास कर अंकित किया व बयान गवाह हरिदास अंकित किये। दिनांक 12.03.2018 को पर्चा नं०

14 किता किया। जिसमें अभियुक्त विन्डोला की गिरफ्तारी हेतु तलाश व वारण्ट जारी करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 12.03.2018 को पर्चा नं0 14ए किता किया। जिसमें अभियुक्त विन्डोला के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट प्राप्त किया। दिनांक 14.03.2018 को पर्चा नं० 15 किता किया। जिसमें अभियुक्त विन्डोला की गिरफ्तारी हेतु तलाश व दबिश दी गयी। दिनांक 18.03.2018 को पर्चा नं0 16 किता किया। जिसमें अवलोकन प्रमाण पत्र व बयान गवाह सदीप बाधवा, बयान गवाह राजेन्द्र कुमार, राजू प्रजापति, रजोला, अमित कुमार, चन्द्रशेखर अंकित किये। दिनांक 20.03.2018 को पर्चा नं0 17 किता किया। जिसमें अभियुक्त विन्डोला की गिरफ्तारी हेतु तलाश व दबिश दी गयी तथा धारा 82 सीआर पीसी निर्गत हेतु अनुरोध किया गया। दिनांक 20.03.2018 को पर्चा न० 17ए किता किया। जिसमें अभियुक्त विण्डोला के विरूद्ध धारा 82 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही हेतु न्यायालय से आदेश प्राप्त किया। दिनांक 25.03.2018 को पर्चा नं0 18 किता किया। जिसमें बयान गवाह तामीला 82 सीआर०पी०सी० हरीराम उर्फ सैदल, भगवानदीन, हटीले, कां० संदीप कुमार सैनी, म० का० नीता देवी अंकित किया। दिनांक 29.03.2018 को पर्चा नं0 19 किता किया। जिसमें अभियुक्त की तलाश की गयी। दिनांक 31.03.2018 को पर्चा नं0 20 किता किया। जिसमें अभियुक्त की तलाश की गयी। दिनांक 02.04.2018 को पर्चा नं0 21 किता किया। जिसमें अभियुक्त की तलाश की गयी। दिनांक 13.04.2018 को पर्चा नं0 22 कित्ता किया। जिसमें अभियुक्त की तलाश की गयी। दिनांक 14.04.2018 को पर्चा नं0 23 किता किया। जिसमें अभियुक्त की तलाश की गयी। दिनांक 22.04.2018 को पर्चा नं0 24 किता किया। जिसमें अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना प्रजापति, भूपेन्द्र उर्फ भूरा के विरूद्ध आरोप पत्र सं० 37/2018 प्रेषित किया गया। दिनांक 26.04.2018 को पूरक पर्चा नं० 1 किता किया। जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध रिमाण्ड की याचना की गयी। दिनांक 02.05.2018 को पूरक पर्चा नं0 2 किता किया। जिसमें अभियुक्तगण की तलाश की गयी। दिनांक 13.05. 2018 को पूरक पर्चा नं० 3 किता किया। जिसमें अभियुक्तगण की तलाश की गयी। दिनांक 15.05.2018 को पूरक पर्चा नं0 4 किता किया। जिसमें अभियुक्तगण की तलाश की गयी। दिनांक 17.05.2018 को पूरक पर्चा नं० 5 किता किया। जिसमें अभियुक्त विण्डोला के विरूद्ध मु०अ०सं० 54/2018 धारा–174ए भा०दं०सं० पंजीकृत कराया गया। दिनांक 27.05.2018 को पूरक पर्चा नं0 6 किता किया। जिसमें अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम व अरविन्द उर्फ अन्नू की गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी का अवलोकन कर अंकित किया व प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार की निशादेही पर गिरफ्तारी व बरामदगी स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। इसके उपरान्त बयान अभियुक्तगण हंगा उर्फ धनीराम, अरविन्द उर्फ अन्नू अंकित किये। दिनांक 27.05.2018 को पूरक पर्चा नं० ७ए किता किया। जिसमें पूर्व में प्रेषित किये गये

आरोप पत्र को संशोधित करते हुये धारा–395.397, 412, 120 बी भा०८०सं० व 10/12 डी०ए०ए० एक्ट में पूरक आरोप पत्र सं० 37 ए/2018 तैयार किया गया। इसके उपरांत विवेचना स्थानान्तरित हो गयी। दिनांक 08.06.2018 को साक्षी व एस०एच०ओ० ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराही कां० प्रदीप कुमार कांठ गजेन्द्र पाल मय जीप सरकारी मय चालक श्याम मिश्र थाना हाजा से वहवाले रपट नं0 49 समय 21.30 बजे रवाना होकर क्षेत्र में देखभाल करते हुये सिरसीकला आये जहां से वादी मुकदमा कुल्दीप मिश्र को साथ लेकर तलाश माल मुल्जिम सम्बन्धित अ०सं० 13/2018 थाना खन्ना करते हुये ग्राम पचपहरा से मटौंध तिराहे पर आये तो मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बदमाश विण्डोला न्यूरिया मोड तिराहे के करीब पुलिया पर बैठा है और अपने किसी साथी का इन्तजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके एस०ओ० महोदय के साथ मय हमराही फोर्स के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो पुलिया पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। पुलिया पर बैठे व्यक्ति ने पुलिस को देखकर मोटर साईकिल से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुये समय 01.30 बजे मय मोटर साईकिल के एक व्यक्त्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम पता पूंछा गया तो उसने अपना नाम विण्डोला उर्फ बिन्दादीन पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना महोबा बताया। उसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुये पैंट से दायीं कोख के पास खुसा हुआ एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व तमंचे की नाल से एक अदद जिन्दा कारतूस तथा पैंट की बांयी जेब से 3 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुयी तथा पैन्ट की दायीं जेब से एक आधार कार्ड जिस पर सूरज शर्मा पुत्र रामदीन शर्मा व पता अंकित है व उस पर विण्डोला उर्फ बिन्दादीन की फोटो लगी है। एक ड्राईविंग लाईसेंस जिसमें सूरज शर्मा अंकित है इसी प्रकार फर्जी नाम पता से एक और डाईविंग लाईसेंस प्राप्त हुआ जिसमें फोटो विण्डोला उर्फ बिन्दादीन की लगी है इसी प्रकार सूरज शर्मा के नाम का एक फर्जी आईडेन्टी कार्ड प्राप्त किया जिस पर फोटो विण्डोला उर्फ बिन्दादीन की लगी है व अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटर साईकिल हीरो एच० एफ० डीलक्स ईको रंग हरी बरामद हुई व पहने हुये कमीज की सामने की जेब से एक पॉलीथीन में एक अदद सोने की चैन जिसमें कुन्दा नहीं था तथा नगद मु0 4200/– रूपये बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त विण्डोला उर्फ बिन्दादीन से पूंछतांछ की गयी तो अभियुक्त ने अपने आप को हिस्ट्रीशीटर बताया व कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज होने का कथन किया। **विण्डोला उर्फ बिन्दादीन ने बताया कि उसने जेल से बचने के लिये संजय नाम बिहारी व्यक्ति की दिनांक 15.05.2015 भवानी गांव थाना मौदहा के पास जंगल में मारकर पहचान छिपाने के लिये पेट्रोल डालकर जला दिया था व उसके पास अपने कपड़े व पल रख दिये थे ताकि लाश की पहचान उसकी लाश के रूप में हो जाये और उसने अपने समस्त फर्जी कागजात पहचान छुपाने के लिये सूरज शर्मा नाम से तैयार करा लिया था और वह उनका उपयोग करता था।**

गिरफ्तार अभियुक्त विन्दादीन उर्फ दिण्डोला ने मु०अ०सं० 13/2018 थाना खन्ना की घटना संलिप्त होने का कथन किया। बरामद माल मगरुता सम्बन्धित मु०अ०सं० 13/2018 थाना खन्ना को बादी मुकदमा कुल्दीप मिश्रा ने देखकर व पहचान कर कहा कि यह चैन हमारी है व अभियुक्त विण्डोला उर्फ बिन्दादीन की शिनाख्त की। बरामद माल को सील मुहर किया गया व टार्च की रोशनी में एस०ए०ओ० ज्ञानेन्द्र कुमार के बोलने पर शब्द व शब्द मेरे द्वारा फर्व मौके पर तैयार की गयी थी व इसके उपरांत हमराही व साक्षी व अभियुका के हस्ताक्षर बनवाये थे व फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में एस०एच०ओ० ज्ञानेन्द्र कुमार ने साक्षी का बयान लिया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न का०सं० 20क/1 प्रदर्श क 14 को देखकर व पढ़कर कहा कि यह साक्षी के लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी इस पर लिखे सभी तथ्यों व अपने लेख व बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न का०सं० उक/1 लगायत उक/8 आरोप पत्र को देखकर कहा कि यह उसके द्वारा बोल–बोलकर कम्प्यूटर आपरेटर से तैयार कराया गया था। साक्षी ने इस पर लिखे सभी तथ्यों व बने अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श क–20 साबित किया है। साक्षी ने विशेष वाद सं० 22/2018 में संलग्न का०सं० 5क प्रदर्श क 10 फर्द बरामदगी को साबित किया है। एस०एच०ओ० अब्दुल रज्ज़ाक के बोलने पर शब्द ब शब्द साक्षी के द्वारा अंकित किये गये थे, साक्षी इस पर लिखे सभी तथ्यों व अपने लेख व बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न का०सं० 8क/1 व 8क/2 नक्शा नजरियों को प्रदर्श क–21 व प्रदर्श क–22 साबित किया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न का०सं० 10क गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–23 साबित किया है। गवाह ने पत्रावली में संलग्न का०सं० 14क /1 लगायत 14 क/9 आरोप पत्र को प्रदर्श क–24 साबित किया है। इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष तीन सील मुहर तमंचा पेश किये गये। एक सील मुहर तमंचे के उपर मु०अ०सं० 18/2018 धारा–3/25 आयुध अधि० नाम जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली बांदा जिला बांदा अंकित है व अपठनीय हस्ताक्षर बने हुये हैं। साक्षी ने देखकर कहा कि इस पर एस०एच०ओ० अब्दुल रज्ज़ाक साहब के हस्ताक्षर बने हुये हैं। सील मुहर तमंचे को न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया तो उसके अन्दर से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 निकला जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह तमंचा व कारतूस अभियुक्त जगदीश के पास से बरामद हुआ था। तमंचा व कारतूस पर कमशः वस्तु प्रदर्श 27 व 28 को साबित किया है। दूसरे सील मुहर तमंचे के उपर मु०अ०सं० 19/2018 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट अभियुक्त मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुवाद निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली बांदा जिला बांदा अंकित है व अपठनीय हस्ताक्षर बने हुये हैं। साक्षी ने इस बने हस्ताक्षर देखकर व पहचानकर कहा कि इस पर एस०एच०ओ०

अब्दुल रज्ज़ाक के हस्ताक्षर बने हुये हैं। सील मुहर तमंचे को न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया तो उसके अन्दर से एक अदद 315 बोर का तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस निकला। जिसे देखकर गवाह ने कहा कि ये तमंचा व कारतूस अभियुक्त मुन्ना प्रजापति के कब्जे से बरामद हुआ था जिसकी साक्षी पुष्टि करता हूँ। तमंचा व कारतूस पर कमशः वस्तु प्रदर्श 29 व 30 को साक्षी ने साबित किया है। तीसरे सील मुहर तमंचे के ऊपर मु०अ०सं० 20/2018 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट अभियुक्त भूपेन्द्र प्रजापति पुत्र अपठनीय निवासी सिरसीकला थाना खन्ना महोबा अंकित है व अपठनीय हस्ताक्षर बने हुये हैं। साक्षी ने इस बने हस्ताक्षर देखकर व पहचानकर कहा कि इस पर एस०एच०ओ० अब्दुल रज्ज़ाक के हस्ताक्षर बने हुये हैं। सील मुहर तमंचे को न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया तो उसके अन्दर से एक अदद 315 बोर का तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस निकला। जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि ये तमंचा व कारतूस अभियुक्त मुन्ना प्रजापति के कब्जे से बरामद हुआ था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। तमंचा व कारतूस पर कमशः वस्तु प्रदर्श 31 व 32 को साबित किया है।

24. साक्षी पी०डब्लू०–9 सेवानिवृत्त एस०सी०पी० रामबाबू ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि साक्षी द्वारा विशेष वाद संख्या 22/2018 सरकार बनाम जगदीश अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्ना मु०अ०सं० 18/2018 थाना खन्ना की विवेचना की थी। इस प्रकरण के विवेचना साक्षी को दिनांक 22.02.2018 को प्राप्त हुयी थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त इसी दिन साक्षी द्वारा पर्चा नं० 3 किता किया था जिसमें एस०एच०ओ० द्वारा दिये गये आदेश का अवलोकर कर अंकित किया एवं पूर्व में किता किये हुए पर्चों का अवलोकन किया। दिनांक 16.03.2018 को पर्चा नं० 4 किता किया गाय जिसमें अभियोजन स्वीकृति प्राप्त है। अभियुक्त जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी मबई बुजुर्ग थाना कोतवाली बांदा जनपद बांदा के विरूद्ध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध साबित पाते हुए आरोप पत्र किता करते विवेचना समाप्त की। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 9क अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क 25 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/4 आरोप पत्र प्रदर्श क 26 को साबित किया है। साक्षी द्वारा सरकार बनाम मुन्ना प्रजापति अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मु०अ०सं० 19/2018 थाना खन्ना की विवेचना की गयी थी। साक्षी ने विवेचना दिनांक 22.02.2018 को ग्रहण की थी व इसी दिन पर्चा नं०–3 किता किया था जिसमें पूर्व के पर्चों का अवलोकन किया था। दिनांक 16.03.2018 को पर्चा नं० 4 किता किया था। जिसमें अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर केस डायरी में सम्मिलित किया व अभियुक्त मुन्ना प्रजापति के विरूद्ध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध साबित पाते हुए विवेचना समाप्त की थी। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 9क अभियोजन स्वीकृति को

प्रदर्श क 27 साबित किया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/3 आरोप पत्र प्रदर्श क 28 साबित किया है। साक्षी ने मु०अ०सं० 20/2018 सरकार बनाम भूपेन्द्र अंतर्गद धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की विवेचना ग्रहण की। आरोप पत्र कागज संख्या 9क को प्रदर्श क 29 को रूप में साबित किया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/4 आरोप पत्र प्रदर्श क 30 साबित किया है।

25. साक्षी पी०डब्लू०–10 उपनिरीक्षक यशकरन सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि साक्षी दिनांक 06.02.2018 को थाना खन्ना में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। इसी दिन साक्षी को मु०अ०सं० 18/2018 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, मु०अ०सं० 19/2018 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, मु०अ०सं० 20/2018 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्ना की विवेचनाये साक्षी को प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरांत तीनों मुकदमों की विवेचनायें एक साथ करते हुये दिनांक 08.02.2018 को पर्चा नं० 1 किता किया जिसमें नकल चिक नकल रपट कायमी बयान एफ०आई०आर० लेखक बयान अभियुक्तगण जगदीश मुन्ना प्रजापति भुपेन्द्र अंकित किये। दिनांक 09.02.2018 को पर्चा नं० 2 किता किया। जिसमें बयान वादी एस०एच०ओ० अब्दुल रज्ज़ाक उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला, कां० सजीवनलाल, कां० गजेन्द्र पाल के बयान अंकित किये व बादी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार कर अंकित किया। इसके उपरांत साक्षी का स्थानान्तरण हो गया था। साक्षी ने विशेष बाद सं० 23/2018 सरकार बनाम मुन्ना प्रजापति में संलग्न का०सं० 8क नक्शा नजरी, विशेष वाद सं० 24/2018 सरकार बनाम भूपेन्द्र में संलग्न का०सं० 8क नक्शा नजरी व विशेष वाद सं० 22/2018. सरकार बनाम जगदीश में संलग्न का०सं० 8क नक्शा नजरी को देखकर साक्षी ने कहा कि उपरोक्त तीनों नक्शा नजरी को प्रदर्श क–31, प्रदर्श क 32 व प्रदर्श क–33 साबित किया है।

26. साक्षी पी०डब्लू०–11 डॉ० महेश सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि साक्षी दिनांक 30.01.2018 को समय 07.20 पी०एम० सी०एच०सी० कबरई में अपनी ड्यूटी पर कार्यरत था तभी होमगार्ड 240 शिवसिंह थाना खन्ना द्वारा मजरुब कुलदीप मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र कुमार मिश्रा उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जिला महोबा को लाया गया। मेडिकल के दौरान मजरूब जिसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गयीं।

27. **खरोंच का निशान माथे के बीच में जिसका आकार 3.2 X 0.5 से०मी० था. जिस पर लाल रंग की पपड़ी पाई गयी। जो चोंट खड़ी थी। मजरूब के शरीर पर आई चोटें साधारण प्रकृति की थी। जो एक दिन के अवधि के अन्दर की थी। जो किसी सख्त कुन्दाले से आना सम्भव थी।**

28. साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं० 9क चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क–34

के रूप में साबित किया है। दिनांक 02.02.2018 को समय 04.35 पी०एम० पर मजरूबा विमला मिश्रा पत्नी वीरेन्द्र कुमार उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जिला महोबा को होमगार्ड हरगोविन्द थाना खन्ना चिकित्सीय परीक्षण हेतु साक्षी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ। साक्षी द्वारा मजरूबा का पहचान चिह्न अंकित कर चिकित्सीय परीक्षण किया गया तो उसने दाहिने कान में दर्द होना बताया। साक्षी द्वारा मजरूबा को जिला चिकित्सालय महोबा में नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ के लिये संदर्भित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0 15क/1 व 15 क/2 रिफर स्लिप एवं चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क 35 व प्रदर्श क 36 के रूप में साबित किया है।

29. **उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अब यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को वादी मुकदमा के घर डकैती की घटना घटित हुई?**

30. न्यायालय के समक्ष वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 कुलदीप मिश्रा ने अपने सशपथ बयान में स्पष्टतः कहा है कि जब वह अपनी माता जी की चिल्लाने की आवाज सुनकर आंगन में आया तो उसने देखा कि चार बदमाश उसकी माता को मारपीट कर पूछ रहे थे कि पैसा, रूपया, जेवर कहां है। साक्षी ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उसके सिर पर तमंचे की बट से मार दिया तथा उसे बांधकर वहीं डाल दिया। बदमाशों ने अलमारी का ताला तोड़कर जेवरात सोने की झुमकी, सोने की जंजीर, चांदी की पायल, सोने की अंगूठी, एक मोबाईल, बैंक पास बुक व आधार कार्ड तथा पच्चीस हजार रुपये लूट लिये। मकान के अंदर चार बदमाश घर के अंदर आये थे व एक बदमाश छत पर था व एक बदमाश बाहर खड़ा था, कुल छः बदमाश थे। इस साक्षी द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क-1 में तीन-चार अज्ञात लोगों द्वारा उसके मकान में घुसकर उसकी मां के साथ मारपीट कर तथा एक बदमाश द्वारा उसके साथ भी मारपीट कर लूट कारित किये जाने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा घटना दिनांक को 12.10 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा उसी दिनांक को समय 7.20 बजे उसकी चिकित्सीय आख्या सी०एच०सी० कबरई में तैयार करायी गयी है जो प्रदर्श क-34 है। इस साक्षी द्वारा अपने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में चार लोगों को घर के अन्दर होने का कथन किया गया है तथा सब के हाथ में कट्टा लिये जाने का कथन किया गया है तथा उन्हें देखकर पहचानने का कथन किया गया है। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू०-2 सौरभ मिश्रा जिसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, ने भी वादी मुकदमा के कथनों की पुर्नावृत्ति की है तथा कहा है कि उसने सभी बदमाशों के चेहरे अच्छी तरह से पहचान लिये थे। इसके द्वारा भी न्यायालय के समक्ष कुल छः लोगों को घटना में शामिल होने का कथन किया गया है। इस साक्षी ने अपने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में कहा है कि जब उसे मां की रोने की आवाज सुनाई दी, उस समय 12.50 बजे थे। वह दौड़कर आया तो चार बदमाश तमंचा लिये हुए उसकी मां को मार रहे थे व उसके बाल पकड़कर खींच रहे थे व

उन बदमाशों द्वारा लूटपाट कारित की गयी। **साक्षी पी०डब्लू०-3 श्रीमती विमला** ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना के समय चार बदमाश अचानक उसके घर में घुस आये तथा उसका मुंह दबा लिया और कहने लगे कि माल पानी कहां है, निकालो। जब पी०डब्लू०-1 आया तो एक बदमाश ने उसके माथे पर कट्टे की बट से मार दिया और उसके हाथ पैर बांध दिये। इसके बाद जब पी०डब्लू०-2 आया तो उसके भी हाथ-पैर बांध दिये। पी०डब्लू०-2 जिस कमरे में सोया था, उसमें गोदरेज की अलमारी रखी थी। बदमाशों ने गोदरेज की अलमारी तोड़कर अलमारे से सोने झुमकी, सोने की जंजीर, चांदी की पायल, सोने की अंगूठी, पी०डब्लू०-2 का एक मोबाईल, बैंक पास बुक, आधार कार्ड व 25000/-रूपये लूट लिये। इस साक्षी ने अपने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में भी इसी प्रकार का कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गयी है कि वादी मुकदमा द्वारा विवेचक से साजिश करके लूट/डकैती की झूंठी घटना दर्ज करायी गयी है, जिससे कि वादी मुकदमा को शस्त्र रखने का लाईसेंस मिल जाये। वादी मुकदमा व विवेचक की दोस्ती थी, जिस कारण मुकदमा लिखा गया व झूंठी बरामदगी दर्शायी गयी। घटना की प्राथमिकी अन्तर्गत धारा-394 भा०दं०सं० दर्ज हुई तथा उसमें चार अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित किये जाने का कथन किया जाना पाया गया। तदोपरान्त दिनांक-08.02.2018 को दौरान विवेचना तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी तथा अभियुक्तों के बयानों के आधार पर विवेचक द्वारा घटना में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों का शामिल होना पाया गया। विवेचक द्वारा कुल छः लोगों की घटना में संलिप्तता बतायी गयी है तथा इसी प्रकार का कथन वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण द्वारा किया गया है। विवेचक पी०डब्लू०-8 द्वारा घटना स्थल की नक्शा नजरी प्रदर्श क० 21 में घटना स्थल वादी मुकदमा के मकान को चिन्ह "A" से दर्शाया गया है। कमरा वादी जहाँ से बदमाशों ने अलमारी तोड़कर जेवरात व नगदी लूटे थे, को चिन्ह "X1" से दर्शाया गया है तथा स्थान जहां वादी की मां विमला मिश्रा सो रही थी तथा बदमाशों ने हमला किया था, को चिन्ह "X2" से दर्शाया गया है। घटना दिनांक को ही वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-34, जो दिनांक-30.01.2018 को समय 07.20 पी०एम० पर सी०एच०सी० कबरई में तैयार की गयी थी, के अनुसार भी वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 को खरोंच का निशान, माथे के बीच में जिसका आकार 3.2 X 0.5 से०मी० था, जिस पर लाल रंग की पपड़ी पायी गयी थी, चोट खड़ी थी। चुटहिल को आयी चोट एक दिन की अवधि के अन्दर की थी तथा किसी सख्त कुन्दालय से आना सम्भव थी। उपरोक्त तथ्यों से यह परिलक्षित हो रहा है कि घटना दिनांक को वादी मुकदमा व उसके परिवार के साथ लूट/डकैती की घटना कारित हुई।

घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता

31. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर जो घटना के दिनांक को सम्बन्धित थाने पर दी गयी थी, में तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है। घटना दिनांक को ही दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल चार अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल छः व्यक्तियों द्वारा घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु उसके द्वारा अपनी तहरीर में कुल चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 द्वारा घटना दिनांक को पुलिस के समक्ष दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० में तीन चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी मां के साथ मारपीट करने व लूटपाट की घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है। विवेचक द्वारा विस्तृत पूछताछ किये जाने पर वादी मुकदमा द्वारा यह बताया गया है कि कुल चार बदमाश थे जो हाथ में कट्टा-तमंचा लिये थे। सामने आने पर वह उन्हें पहचान सकता है तथा इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि बदमाशों में से वह किसी को नहीं जानता है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व भूपेन्द्र की गिरफ्तारी दिनांक-08.02.2018 को की गयी, जिनके द्वारा पुलिस के समक्ष अपराध कारित करने की संस्वीकृति की गयी तथा कहा गया कि उक्त घटना में दो अन्य अभियुक्त छंगा व विन्दौला भी शामिल थे। दिनांक-27.05.2018 को अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम व अरविन्द उर्फ अन्नू को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त विन्दौला की गिरफ्तारी दिनांक-08.06.2018 को की गयी।

32. **अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त मुन्ना प्रजापति उक्त अपराध कारित करने में शामिल था?**

33. वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में अभियुक्त मुन्ना को हथियार से लैश हुए लूट कारित करने का कथन किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि दिनांक–08.02.2018 को पुलिस द्वारा अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार किया गया था तथा उसके पास से 500/–रूपये, एक चांदी की पायल, एक तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ था। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त मुन्ना प्रजापति के कब्जे से बरामद 700/–रूपये में से 10 रूपये की 50 नोटो को वस्तु प्रदर्श 7, 50 रूपये की 4 नोटो के वस्तु प्रदर्श–8 व सफेद धातु की पायल 75 ग्राम को वस्तु प्रदर्श 9 के रूप में साबित किया गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–23 तथा गिरफ्तारी के बाद तैयार की गयी फर्द प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा कहा गया है कि उसने अभियुक्त मुन्ना की गिरफ्तारी के समय पहचान की थी तथा उसके समक्ष अभियुक्त से बरामदगी भी हुई थी।

न्यायालय के समक्ष इस साक्षी द्वारा शिनाख्त हेतु अभियुक्त मुन्ना उपस्थित नहीं हुआ था। साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्टतः कहा है कि हाजिर अदालत जगदीश, विन्दौला व मुन्ना लूटपाट करते समय उनके घर के अन्दर थे। साक्षी पी०डब्लू०–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने अभियुक्त की पहचान गिरफ्तारी के समय कर ली थी। साक्षी पी०डब्लू०–3 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व विन्दौला की पहचान करते हुए कहा है कि इन लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना कारित की थी तथा वह अभियुक्तगण को न्यायालय में अच्छी तरह से पहचान रही है। इन साक्षीगण की जिरह में कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिससे कि इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त मुन्ना की घटना में संलिप्तता तथा उसका वादी मुकदमा के घर में घुसना व इन साक्षीगण से मारपीट करना संदेहास्पद माना जा सके। अभियुक्त मुन्ना की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू०–1 के कथनों से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त घटना के समय घटना स्थल पर न रहा हो। इस प्रकार घटना में अभियुक्त मुन्ना की संलिप्तता संदेह से परे साबित है।

34. **अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त जगदीश उक्त अपराध कारित करने में शामिल था?**

35. वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में अभियुक्त जगदीश के कब्जे से एक अदद चांदी की पायल, छः सौ रूपये, एक अदद लूट का मोबाईल MAFE बरामद होना कहा गया है तथा बरामद माल को अपना होना कहा गया है। साक्षी ने न्यायालय के समक्ष बरामदशुदा माल दस–दस के पचास नोटों पर वस्तु प्रदर्श–3 व पचास–पचास के दो नोटों पर वस्तु प्रदर्श–4, मोबाईल पर वस्तु प्रदर्श 5 व सफेद धातु की पायल पर वस्तु प्रदर्श 6 को साबित किया गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–23 तथा गिरफ्तारी के बाद तैयार की गयी फर्द प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा कहा गया है कि उसने अभियुक्त जगदीश की गिरफ्तारी के समय पहचान की थी तथा उसके समक्ष अभियुक्त से बरामदगी भी हुई थी। अभियुक्त से बरामद मोबाईल को साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा स्वयं का होना कहा गया है तथा मोबाईल की पहचान की गयी है। साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्टतः कहा है कि हाजिर अदालत जगदीश, विन्दौला व मुन्ना लूटपाट करते समय उनके घर के अन्दर थे। साक्षी पी०डब्लू०–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने अभियुक्त की पहचान गिरफ्तारी के समय कर ली थी। साक्षी पी०डब्लू०–3 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व विन्दौला की पहचान करते हुए कहा है कि इन लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना कारित की थी तथा वह अभियुक्तगण को

न्यायालय में अच्छी तरह से पहचान रही है। इन साक्षीगण की जिरह में कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिससे कि इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त जगदीश की घटना में संलिप्तता तथा उसका वादी मुकदमा के घर में घुसना व इन साक्षीगण से मारपीट करना संदेहास्पद माना जा सके। अभियुक्त जगदीश की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू०–2 के कथनों से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त घटना के समय घटना स्थल पर न रहा हो। इस प्रकार घटना में अभियुक्त जगदीश की संलिप्तता संदेह से परे साबित है।

36. **अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उक्त अपराध कारित करने में शामिल था?**

37. वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में कहा है कि दिनांक–08.06.2018 को वह पुलिस के साथ न्यूरिया तिराहा की पुलिया के पास पहुँचा तो वहाँ पर पुलिस ने विन्दौला उर्फ विन्दादीन को गिरफ्तार किया तथा उसके पास से एक तमंचा व चार कारतूस व एक सोने की चैन, 4200/–रूपये, आधार कार्ड, पहचानपत्र, ड्राईविंग लाईसेंस बरामद किया था। आधार कार्ड, पहचान पत्र व ड्राईविंग लाईसेंस में सूरज शर्मा उर्फ बाबा नाम पड़ा था वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 द्वारा अभियुक्त से बरामद सोने की चैन को देखकर पहचान की थी व अपनी होना बताया था। साक्षी ने अभियुक्त से बरामद रूपयो में सौ–सौ रूपये के दो नोटों पर वस्तु प्रदर्श–10 स पांच–पांच सौ रूपये के आठ नोटों पर वस्तु प्रदर्श–11 व पीली धातु की चैन पर वस्तु प्रदर्श–12 को साबित किया है। इस अभियुक्त की घटना में संलिप्तता अन्य सहअभियुक्तों के बताये अनुसार पायी गयी है तथा गिरफ्तारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–18 तथा गिरफ्तारी के दौरान तैयार की गयी फर्द प्रदर्श क–14 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि जब पुलिस ने अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन को पकड़ा था को साक्षी ने देखकर बताया था कि इसी ने घटना दिनांक को उसे तमंचे की बट से मारा था। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन की पहचान जरिये वीडियो कान्फ्रेसिंग की गयी है। साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्टतः कहा है कि हाजिर अदालत जगदीश, विन्दौला व मुन्ना लूटपाट करते समय उनके घर के अन्दर थे। साक्षी पी०डब्लू०–3 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व विन्दौला की पहचान करते हुए कहा है कि इन लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना कारित की थी तथा वह अभियुक्तगण को न्यायालय में अच्छी तरह से पहचान रही है। अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन का नाम अन्य अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक के करीब एक हफ्ते बाद दिनांक–08.02.2018 को बताया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये तथा दिनांक–20.04.2018 को धारा–82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही भी की गयी थी,

परन्तु अभियुक्त न तो विवेचक के समक्ष और न ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अभियुक्त का आचरण भी उसके विरूद्ध जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की जिरह में कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिससे कि इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादी उर्फ सूरज शर्मा की घटना में संलिप्तता तथा उसका वादी मुकदमा के घर में घुसना व इन साक्षीगण से मारपीट करना संदेहास्पद माना जा सके। इस प्रकार घटना में अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा की संलिप्तता संदेह से परे साबित है।

38. **अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम उक्त अपराध कारित करने में शामिल था?**

39. वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में कहा है कि दिनांक– 26.05.2018 को अभियुक्त छंगा की गिरफ्तारी हुई थी तथा दरोगा जी उसे लेकर गांव गये थे। अभियुक्त छंगा की निशानदेही पर खेत में गड़े हुए कागजात ट्रेक्टर से जुताई करने के बाद बरामद किये गये थे, जो एक पॉलीथीन में डले हुए थे। उन कागजों में वादी की मां व भाई की पास बुकें बरामद हुई थीं। वादी पी०डब्लू०–1 द्वारा अभियुक्त छंगा व अरविन्द से बरामद वस्तुओं को अपनी होने की पहचान करते हुए भारतीय स्टेट बैंक की तीन पास बुकों को वस्तु प्रदर्श–13, इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक की पास बुक को वस्तु प्रदर्श–14, इलाहाबाद बैंक की दो पास बुकों को वस्तु प्रदर्श–15, तीन आधार कार्डों को वस्तु प्रदर्श–16, तीन निर्वाचन कार्डों को वस्तु प्रदर्श–17, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड को वस्तु प्रदर्श–18, ए०टी०एम० कार्ड को वस्तु प्रदर्श–19, सौ–सौ रूपयों के ग्यारह नोटो को वस्तु प्रदर्श–20, पासपोर्ट साइज के 12 फोटो के वस्तु प्रदर्श–21 के रूप में साबित किया गया है। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम की सूरत व नाम के आधार पर पहचान सुनिश्चित की गयी है। इस अभियुक्त की घटना में संलिप्तता अन्य सहअभियुक्तों के बताये अनुसार पायी गयी है तथा गिरफ्तारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–17 तथा गिरफ्तारी के दौरान तैयार की गयी फर्द प्रदर्श क–15 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कुल छः लोगों को घटना में शामिल होने का कथन किया है तथा यह भी कहा है कि जब दरोगा जी छंगा को लेकर गांव आये थे तो हमने देखकर व पहचान कर बता दिया था कि यह भी लूटपाट की घटना में सम्मिलित था। गिरफ्तारी के उपरान्त पुलिस के समक्ष पी०डब्लू०–1 ने छंगा को पहचाना तथा कहा कि यह वही बदमाश है जो चाकू लिये था तथा उसे गोद रहा था तथा अन्य बदमाश उसे छंगा–छंगा कह रहे थे। साक्षी पी०डब्लू०–2 के समक्ष अभियुक्त छंगा मुख्य परीक्षा के समय उपस्थित नहीं रहा है, परन्तु साक्षी द्वारा कहा गया है कि यदि अभियुक्त उसके समक्ष उपस्थित होता तो

वह उसे पहचान लेता। साक्षी पी०डब्लू०–3 ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि जब पुलिस छंगा को लेकर गांव में आयी थी तो उसने दरोगा जी को बता दिया था कि यह भी घटना कारित करने में सम्मिलित था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व विन्दौला की पहचान करते हुए कहा है कि इन लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना कारित की थी तथा वह अभियुक्तगण को न्यायालय में अच्छी तरह से पहचान रही है। अभियुक्त छंगा का नाम अन्य अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक के करीब एक हफ्ते बाद दिनांक–08.02.2018 को बताया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये तथा कागज संख्या–9 क दिनांकित–15.05.2018 के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि छंगा उर्फ धनीराम पर पुलिस द्वारा 10000/–रूपये का इनाम घोषित किया गया था। उक्त पत्रांक में छंगा उर्फ धनी राम को एक ही व्यक्ति होना दर्शाते हुए अभियुक्त को नामित किया गया है। अतः बचाव पक्ष की दलील कि छंगा उर्फ धनीराम अलग व्यक्ति है, बलहीन प्रतीत होती है। न्यायालय के समक्ष छंगा द्वारा बताया गया कि उसके पैर में छः अंगुलियां हैं, जैसा कि केस डायरी के अवलोकन से भी विदित हो रहा है। अभियुक्त का आचरण भी उसके विरूद्ध जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की जिरह में कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिससे कि इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम की घटना में संलिप्तता तथा उसका वादी मुकदमा के घर में घुसना व इन साक्षीगण से मारपीट करना संदेहास्पद माना जा सके। इस प्रकार घटना में अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम की संलिप्तता संदेह से परे साबित है।

40. **अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त भूपेन्द्र उक्त अपराध कारित करने में शामिल था?**

41. वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में अभियुक्त भूपेन्द्र के कब्जे से एक अदद सोने की अंगूठी व 500/–रूपये नगद बरामद किये गये हैं। साक्षी ने न्यायालय के समक्ष बरामदशुदा पीली धातु की अंगूठी को वस्तु प्रदर्श–1 व पांच सौ रूपये के एक नोट को वस्तु प्रदर्श–2 को साबित किया गया है, जिसे साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा स्वयं का होना भी कहा गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–23 तथा गिरफ्तारी के बाद तैयार की गयी फर्द प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा कहा गया है कि उसने अभियुक्त भूपेन्द्र की गिरफ्तारी के समय पहचान की थी तथा उसके समक्ष अभियुक्त से बरामदगी भी हुई थी। वादी मुकदमा द्वारा घटना में कुल छः व्यक्तियों को शामिल होना कहा गया है तथा इस अभियुक्त दरवाजे के बाहर खड़ा रहना कहा गया है। इस अभियुक्त भूपेन्द्र का नाम पुलिस द्वारा दौरान विवेचना पाया गया है तथा इसे अन्य अभियुक्तगण के साथ दिनांक–08.02.2018 को गिरफ्तार किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह साक्ष्य

में लाया गया है कि अभियुक्त भूपेन्द्र ने अन्य अभियुक्तगण को वादी मुकदमा के घर गढ़े धन होने की सूचना दी थी। मामले में अन्य अभियुक्तगण वादी मुकदमा के गांव के नहीं हैं। इससे भी यह परिलक्षित हो रहा है कि अन्य अभियुक्तगण को गढ़े धन की सूचना देने वाला यही व्यक्ति होगा। इस साक्षी के विरूद्ध कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथ्य के साक्षियों द्वारा इस अभियुक्त को देखा जाना भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। इस अभियुक्त को अन्य सहअभियुक्तगण के कथनानुसार ही प्रस्तुत मामले में अभियुक्त बनाया गया है तथा इसे अन्य अभियुक्तगण को सूचना देने के कारण अभियुक्त होना कहा गया है। अभियोजन साक्षियों से यह परिलक्षित हो रहा है कि अभियुक्त वादी मुकदमा व उसके परिवादीजन के गांव का ही है तथा उनसे पूर्व से ही परिचित है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में अभियुक्त भूपेन्द्र का नाम अंकित नहीं किया गया है। अतः इस अभियुक्त भूपेन्द्र की घटना में संलिप्तता को अन्य साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर ही देखा जाना विधि सम्मत होगा। पुलिस के समक्ष िस अभियुक्त की संस्वीकृति है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ साजिश करके उक्त लूट कारित करवाई थी तथा वह घटना कारित करते समय घर के बाहर खड़ा था। पुलिस के समक्ष दिये गये संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। अभियुक्तगण में से कोई भी वादी मुकदमा के गांव का नहीं है तथा अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र व अभियुक्त विन्दौला को एक साथ भिन्न–भिन्न जगहों पर होना कहा गया है तथा उसके दस्तावेजी प्रपत्र भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं तथा अभियुक्त से चुराई हुई सम्पत्ति अंगूठी व पांच सौ रूपये बरामद दिखाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर परीक्षित साक्षीगण की जिरह में कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिससे कि इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र की घटना में संलिप्तता तथा उसका वादी मुकदमा के घर में गड़ा धन होने की सूचना तथा अन्य अभियुक्तगण को सहयोग करना संदेहास्पद माना जा सके। अभियुक्त भूपेन्द्र की ओर से परीक्षित साक्षीगण डी०डब्लू०–3 व 4 के कथनों से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त घटना के समय घटना स्थल पर न रहा हो। इस प्रकार घटना में अभियुक्त भूपेन्द्र की संलिप्तता संदेह से परे साबित है।

42. **अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त अरविन्द उर्फ अन्नू उक्त अपराध कारित करने में शामिल था?**

43. वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में कहा है कि दिनांक– 26.05.2018 को अभियुक्त अरविन्द उर्फ अन्नू की गिरफ्तारी हुई थी तथा दरोगा जी उसे लेकर गांव गये थे। अभियुक्त अरविन्द की निशानदेही पर खेत में गड़े हुए कागजात ट्रेक्टर से जुताई करने के बाद बरामद किये गये थे, जो एक पॉलीथीन में डले हुए थे। उन कागजों में वादी की मां व भाई की पास बुकें बरामद हुई थीं। वादी पी०डब्लू०–1 द्वारा अभियुक्त छंगा व अरविन्द से बरामद वस्तुओं को अपनी होने की पहचान करते हुए

भारतीय स्टेट बैंक की तीन पास बुकों को वस्तु प्रदर्श–13, इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक की पास बुक को वस्तु प्रदर्श–14, इलाहाबाद बैंक की दो पास बुकों को वस्तु प्रदर्श–15, तीन आधार कार्डों को वस्तु प्रदर्श–16, तीन निर्वाचन कार्डों को वस्तु प्रदर्श–17, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड को वस्तु प्रदर्श–18, ए०टी०एम० कार्ड को वस्तु प्रदर्श–19, सौ–सौ रूपयों के ग्यारह नोटो को वस्तु प्रदर्श–20, पासपोर्ट साइज के 12 फोटो के वस्तु प्रदर्श–21 के रूप में साबित किया गया है। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम व अरविन्द की सूरत व नाम के आधार पर पहचान सुनिश्चित की गयी है। इस अभियुक्त की घटना में संलिप्तता अभियुक्त छंगा उर्फ धनीराम के बताये अनुसार पायी गयी है तथा गिरफ्तारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–17 तथा गिरफ्तारी के दौरान तैयार की गयी फर्द प्रदर्श क–15 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कुल छः लोगों को घटना में शामिल होने का कथन किया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अरविन्द को गांव के बाहर मोटरसाईकिल की देखरेख करने हेतु रखा गया था इसे लूट के रूपयों में से 1000/–रूपये दिया जाना कहा गया है। इस अभियुक्त का घटना में नामांकन व पहचान सिवाय अभियुक्त छंगा के अन्य किसी के द्वारा नहीं किया गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी घटना के करीब चार माह बाद की गयी है तथा एक फर्द बरामदगी तथा सहअभियुक्त के बयानों के आधार पर ही अभियुक्त अरविन्द उर्फ अन्नू को घटना में संलिप्त होना नहीं माना जा सकता। अभियुक्तगण छंगा व अरविन्द की निशानदेही पर वादी मुकदमा के दस्तावेजों की बरामदगी की गयी है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। अतः अभियुक्त अरविन्द उर्फ अन्नू की घटना में संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं है तथा अभियुक्त संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त होने योग्य है।

44. उपरोक्त सभी विश्लेषण से यह परिलक्षित हो रहा है कि दिनांक–29/30.01.2018 की रात्रि में अभियुक्तगण भूपेन्द्र के साथ साजिश के उपरान्त अभियुक्तगण छंगा उर्फ धनीराम, मुन्ना, जगदीश व विन्दौला उर्फ विन्दादीन द्वारा वादी मुकदमा व अन्य को उपहति कारित करते हुए वादी मुकदमा के घर लूट कारित की गयी जो कि अभियुक्तगण की संख्या पांच होने के कारण डकैती की परिधि में आती है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के पास घटना कारित करते समय तमंचा होने का कथन किया गया है जो कि घातक आयुध है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा कारित डकैती भा०दं०सं० की धारा–395 सहपठित धारा–397 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जिसके लिए अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेंद्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

45. जहाँ तक अभियुक्तगण पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–412 भा०दं०सं०

का प्रश्न है तो प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेंद्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा को आरोप अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397 भा०दं०सं० हेतु दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया गया है। अभियुक्तगण से उक्त लूट में चुराई हुई सम्पत्ति बरामद हुई है। **धारा–114 (क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा के अनुसार** यदि चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, तो जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। **रतनलाल धीरजलाल की भारतीय दण्ड संहिता की पुस्तक के पृष्ठ संख्या–2416** में यह अभिलिखित है कि एक व्यक्ति को चोरी के अपराध हेतु व चोरी का समान को प्राप्त करने या रखने हेतु एक साथ दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेंद्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा को अपराध अन्तर्गत धारा–412 भा०दं०सं० हेतु दोषसिद्ध किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

46. प्रस्तुत मामले में कुल पांच अभियुक्तों की घटना में संलिप्तता पायी गयी है। घटना स्थल पर चार लोगों को उपस्थित होना पाया गया है तथा पांचवे के घटना स्थल वाले मकान के दरवाजे के पास खड़ा होना कहा गया है। धारा–391 भा०दं०सं० में परिभाषित डकैती के अनुसार–डकैती करने वाले व्यक्तियों की, जो व्यक्ति मदद करता है, वह भी उनके साथ डकैती करता हुआ माना जायेगा। उपरोक्त विश्लेषण से अभियुक्त भूपेन्द्र दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अन्य अभियुक्तगण की मदद कर रहा था। अतः वह डकैती के अपराध का दोषी है। जब उक्त अपराध की साजिश गढ़ते हुए सभी अभियुक्तों को डकैती के अपराध हेतु दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया गया है तो उन्हें अलग से उक्त अपराध की साजिश हेतु दोषी नहीं माना जा सकता। अतः अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेंद्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा को अपराध अन्तर्गत धारा–120 बी भा०दं०सं० हेतु दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। तदानुसार ही अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेंद्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उन पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–120 बी भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

47. अभियुक्तगण पर आरोप अन्तर्गत धारा–10/12 डी०ए०ए० एक्ट भी विरचित किया गया है। उक्त प्राविधान सरकारी कर्मचारी के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु दिया गया है। प्रस्तुत मामले में वादी सरकारी कर्मचारी हो, ऐसा तथ्य अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं लाया गया है। अतः अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेंद्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा को उन पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–10/12 डी०ए०ए० एक्ट हेतु दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। तदानुसार ही अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेंद्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उन पर लगे

अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–10/12 डी०ए०ए० एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

48. जहाँ तक अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व भूपेन्द्र पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम का प्रश्न है तो अभियोजन पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्तगण से असलहे व कारतूस बरामद किये गये हैं तथा बरामदगी से सम्बन्धित फर्द दिनांकित–08.02.2018 को न्यायालय के समक्ष प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। उक्त असलहों के चालू या क्रियाशील होने की स्थिति के बावत किसी एक्सपर्ट की राय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही विवेचक द्वारा उक्त असलहों के क्रियाशील होने की स्थिति के बावत उक्त असलहों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण से बरामद असलहे चालू स्थिति में थे, यह संदेहास्पद है तथा इस आधार पर अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व भूपेन्द्र को अवैध असलहा रखने हेतु दोषी नहीं माना जा सकता। अतः अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना व भूपेन्द्र, उन पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

49. जहाँ तक अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम का प्रश्न है तो अभियोजन पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त से असलहे व कारतूस बरामद किये गये हैं तथा बरामदगी से सम्बन्धित फर्द दिनांकित–08.06.2018 को न्यायालय के समक्ष प्रदर्श क–14 के रूप में साबित किया गया है। उक्त असलहा के चालू या क्रियाशील होने की स्थिति के बावत भी किसी एक्सपर्ट की राय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही विवेचक द्वारा उक्त असलहों के क्रियाशील होने की स्थिति के बावत उक्त असलहों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त से बरामद असलहा चालू स्थिति में था, यह संदेहास्पद है तथा इस आधार पर अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा को अवैध असलहा रखने हेतु दोषी नहीं माना जा सकता। अतः अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उस पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

विशेष वाद संख्या–04/2018, मु०अ०सं०–13/2018 अन्तर्गत धारा–394, 411, 120 बी, भा०दं०सं० थाना खन्ना, जिला महोबा के प्रकरण में अभियुक्तगण जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा, उ०प्र०, मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुवाद निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा, उ०प्र० व भूपेन्द्र प्रजापति पुत्र झुरियां प्रजापति निवासी ग्राम सिरसी कलां, थाना खन्ना, जिला महोबा, उ०प्र० को आरोप अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397

भा०दं०सं० हेतु व विशेष वाद संख्या–51/2018, मु०अ०सं०–13/2018, अन्तर्गत धारा–395, 397, 412, 120बी भा0दं0सं0 व धारा–10/12 डी०ए०ए० एक्ट के प्रकरण में अभियुक्तगण छंगा उर्फ धनीराम प्रजापति पुत्र कालीचरन प्रजापति निवासी मुहल्ला खन्ती वार्ड नं०–10, लवकुशनगर छतरपुर, म०प्र० व बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना, थाना खन्ना, जिला महोबा को उन पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397 भा०दं०सं० हेतु दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–412, 120बी० भा०दं०सं० व धारा–10/12 डी०ए०ए० एक्ट के अपराध आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

इसी प्रकार आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अपराध संख्याओं के प्रकरणों में अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, भूपेन्द्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा को उन पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त अरविन्द उर्फ अन्नू को उस पर लगे समस्त अपराध आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अरविन्द उर्फ अन्नू के जमानतनामे निरस्त करते हुए प्रतिभुओं को उनके जमानत सम्बन्धी दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त अरविन्द उर्फ अन्नू को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय दिनांक से 15 दिन के अन्तर्गत जमानतें अन्तर्गत धारा–437ए दं०प्र०सं० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

अभियुक्तगण प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर हैं तथा अभियुक्तगण आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अतः अभियुक्तगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेद्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा को दोषसिद्ध अपराध हेतु न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा उनके विचारण काल के जमानतनामों को निरस्त करते हुए प्रतिभुओं को उनके जमानत सम्बन्धी दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को सजा के बिन्दु पर सुना जाना आवश्यक है। अतः पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक–31.07.2026 को प्रस्तुत हो। नियत दिनांक को अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखा जाए।

दिनांक–29.07.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम
महोबा, UP02402

<u>31.07.2026</u>

पत्रावली दिनांक–29.07.2026 को पारित आदेश के अनुक्रम में दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। दोषसिद्धगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेन्द्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में जिला उपकारागार महोबा से उपस्थित है। दोषसिद्धगण को सजा के बिन्दु पर पूर्व आदेश के अनुक्रम में सुना गया।

दोषसिद्ध जगदीश द्वारा कहा गया है कि वह 45 वर्षीय ग्रामीण पुरूष है। उस पर उसके 03 बच्चे व एक बच्ची व पत्नी आश्रित हैं, जिनका भरण पोषण व किसानी करके करता है। दोषसिद्ध मुन्ना द्वारा कहा गया है कि वह 52 वर्षीय ग्रामीण पुरूष है। उस पर उसकी पत्नी, एक बेटा व एक बेटी व मां–बाप आश्रित हैं, जिनका भरण पोषण वह मजदूरी करके करता है। दोषसिद्ध छंगा उर्फ धनीराम द्वारा कहा गया है कि वह 30 वर्षीय शादी–शुदा नवयुवक है तथा उसका एक 07 माह का बच्चा है। दोषसिद्ध के वृद्ध पिता हैं, मां जीवित नहीं है। पिता, पत्नी व बच्चे के भरण–पोषण की जिम्मेदारी दोषसिद्ध पर है। दोषसिद्ध विन्दौला द्वारा कहा गया है कि वह 40 वर्षीय शादी–शुदा पुरूष है। उसका 9 वर्षीय बेटा व 6 माह की बेटी है तथा वृद्ध मां है, पिता जीवित नहीं हैं। समस्त लोग उस पर आश्रित हैं, जिनका भरण–पोषण वह ट्रक ड्राइवरी करके करता है। दोषसिद्ध भूपेन्द्र की ओर से कहा गया है कि वह 40 वर्षीय शादी–शुदा पुरूष है। उसके दो छोटे बच्चे हैं तथा वृद्ध मां है, पिता जीवित नहीं हैं। समस्त लोग उस पर आश्रित हैं, जिनका भरण–पोषण वह मजदूरी करके करता है। दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा कहा गया है कि यह उनका प्रथम दोषसिद्ध अपराध है। दोषसिद्ध विन्दौला के अतिरिक्त किसी अन्य का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषसिद्धगण पर अपने बच्चों व वृद्ध माता–पिता के पालन–पोषण की जिम्मेदारी है। अतः दोषसिद्ध को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि दोषसिद्धगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा व उसकी मां के साथ मारपीट करते हुए लूट/डकैती की घटना कारित की गयी है, जिसके लिए दोषसिद्धगण को आरोप अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397 भा०दं०सं० हेतु दोषी पाया गया है। अतः अपराध की प्रकृति व अपराध कारित करने में साबित दोषसिद्धगण की भूमिका को देखते हुए दोषसिद्धगण को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है, ताकि समाज में संदेश पहुंच सके कि अपराध कारित करने का परिणाम केवल कठोर दण्ड ही होता है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में दण्ड के बिन्दु पर विचार किया गया।

दोषसिद्धगण द्वारा किये गये अपराध का उपरोक्त विश्लेषण करते हुए न्यायालय द्वारा दोषसिद्धगण जगदीश, मुन्ना, छंगा उर्फ धनीराम, भूपेन्द्र व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरजा शर्मा को आरोप अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397 भा०दं०सं० हेतु दोषी पाया गया है। अतः दोषसिद्धगण की अपराध में संलिप्तता व उनके ऊपर आश्रित लोगों की स्थिति को देखते हुए एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए विशेष वाद संख्या–04/2018, मु०अ०सं०–13/2018, थाना खन्ना, जिला महोबा के प्रकरण में दोषसिद्धगण जगदीश, मुन्ना प्रजापति व भूपेन्द्र प्रजापति को अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397 भा०दं०सं० प्रत्येक दोषसिद्ध को 07 (सात) वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/– (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त साधारण कारवास से, विशेष वाद संख्या–51/2018, मु०अ०सं०–13/2018, थाना खन्ना जिला महोबा के प्रकरण में दोषसिद्धगण छंगा उर्फ धनीराम व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा को अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397 भा०दं०सं० प्रत्येक दोषसिद्ध को 07 (सात) वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/–(दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त साधारण कारवास से दण्डित किया जाता है तो इससे न्याय की मंशा पूर्ण होना दर्शित होती है। तदानुसार ही दोषसिद्धगण दण्डित होने योग्य हैं।

दण्डादेश

विशेष वाद संख्या–04/2018, मु०अ०सं०–13/2018 थाना खन्ना, जिला महोबा के प्रकरण में दोषसिद्धगण जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा, उ०प्र०, मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुवाद निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा, उ०प्र० व भूपेन्द्र प्रजापति पुत्र झुरियां प्रजापति निवासी ग्राम सिरसी कलां, थाना खन्ना, जिला महोबा, उ०प्र० को अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397 भा०दं०सं० प्रत्येक दोषसिद्ध को 07 (सात) वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/–(दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त साधारण कारवास से, विशेष वाद संख्या–51/2018, मु०अ०सं०–13/2018, थाना खन्ना जिला महोबा के प्रकरण में दोषसिद्धगण छंगा उर्फ धनीराम पुत्र कालीचरन प्रजापति निवासी मुहल्ला खंती वार्ड नं–10, लवकुशनगर, छतरपुर, म०प्र० व विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना, थाना खन्ना, जिला महोबा, उ०प्र० को अन्तर्गत धारा–395 सहपठित धारा–397 भा०दं०सं० प्रत्येक दोषसिद्ध को 07 (सात) वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/–(दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त साधारण

कारवास से दण्डित किया जाता।

दोषसिद्धगण द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि धारा–428 दं0 प्र 0 सं0 के प्राविधान के अनुसार सजा की अवधि में समायोजित होगी। दोषसिद्धगण का सजायावी वारण्ट सम्बन्धित प्रकरण में नियमानुसार तैयार कर जिला उप कारागार महोबा प्रेषित हो।

निर्णय की प्रति दोषसिद्धगण को नियमानुसार निशुल्क प्रदान की जायें तथा एक–एक प्रति सम्बन्धित प्रकरणों में भी रखी जाए।

इस प्रकरण से सम्बन्धित बरामदशुदा माल, यदि कोई हो, अपील अवधि तक सुरक्षित रखा जाये। अपील न होने की स्थिति में, अपील अवधि के उपरान्त, किसी अन्य विचारण में वांछित न होने पर बरामदशुदा माल का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित हो तथा अपील होने की स्थिति में बरामदशुदा माल का निस्तारण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार तथा किसी अन्य न्यायालय में बरामदशुदा माल वांछित होने पर सम्बन्धित सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार माल का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित हो।

दिनांक–31.07.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम
महोबा, UP02402

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–31.07.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम
महोबा, UP02402

Digitally signed by DHRUVA RAI
Date: 2026.07.31 17:17:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court